इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2024—भाद्र 8, शक 1946

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2024

एफ क्रमांक 01—18/2015/तीस:::: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ. 1—27—95—सी—तीस, दिनांक 30 अप्रैल, 1999 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तो से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम " मध्यप्रदेश पुरातत्व,अभिलेखागार एवं संग्रहालय, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवा भर्ती नियम, 2024" है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**– इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी " से अभिप्रेत है, आयुक्त/ संचालक, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय;

(ख) "आयुक्त " से अभिप्रेत है, आयुक्त पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश;

(ग) "संचालक " से अभिप्रेत है, संचालक पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय;

(घ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग "(ई.डब्ल्यू.एस.) से अभिप्रेत है, कोई नागरिक जो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–11/ 2019/आ.प्र. /एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार किसी आरक्षित श्रेणी, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधीन नहीं आता है;

(ड.) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम के अधीन भर्ती के लिये संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की निरंतर कालावधि के लिए नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपने नाम का पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन से अनधिक वर्ष पूर्व मित–व्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के फलस्वरूप छंटनी की गई थी या जो अतिशेष घोषित किया गया था।

(1) भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) भूतपूर्व सैनिक जो निरंतर छह माह से अधिक समय तक देश की सेना में नियोजित रहा हो और किसी कदाचार के कारण निर्मुक्त नही किया गया हो;

(3) भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हें,–

(क) अल्पकालीन बचनबंध पूर्ण हो जाने पर;

(ख) भरती संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर;

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(4) मद्रास सिविल ईकाई के भूतपूर्व कार्मिक;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियां के विरूद्ध छह मास से अधिक के लिए निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(छ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ज) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ञ) ''छंटनी किए गए शासकीय सेवक'' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जो इस राज्य की या किसी संघटक ईकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में छह से अनिम्न मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन से अनधिक वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(ट) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ठ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ड) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ढ) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित चयन समिति;

(ण) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवा;

(त) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– मध्यप्रदेश सिविल (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु सरकार, समय–समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थाई या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**–

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट ऐसी सेवाओं में ऐसे पद हो, धारण करते हों।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या की अनुसूची–दो में दर्शाई गई प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए यथा अपेक्षित, सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकता को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के लिए उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगी, जो इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित किए जाएं।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् के सिवाय नहीं की जाएगी।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती हेतु पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी, अर्थात्:–

(1) **आयु:–**

(क) अभ्यर्थी ने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–तीन के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण नहीं की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है, या अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरूस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति–पत्नि के संबंध में, सामान्य ऊपरी आयु–सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु–सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों अथवा रहे हों, ऊपरी आयु–सीमा उस सीमा तक तथा नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, अर्थात्:–

(एक) कोई अभ्यर्थी जो स्थाई शासकीय सेवक है, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी निकाय तथा नगर सैनिक के अधीन कार्यरत पुरूष तथा महिला अभ्यर्थियों तथा आरक्षित श्रेणी के पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों तथा विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा सहित सभी महिला अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी:

परन्तु किसी भी दशा में समस्त छूटों सहित किसी भी संवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(तीन) छंटनी किए गए सरकारी सेवक के संबंध में उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त अस्थाई सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए

अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह निर्धारित सामान्य ऊपरी आयु–सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

(च) विधवा, निराश्रित अथवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य ऊपरी आयु–सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति–पत्नी के संबंध में, सामान्य ऊपरी आयु–सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य ऊपरी आयु–सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के सदस्य है; ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई सेवा की कालावधि के अध्यधीन रहते हुए ऊपरी आयु–सीमा 8 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी.– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (घ) के उप खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाए गए हैं, वे यदि आवेदन भेजने के पश्चात्, चयन के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र बने रहेंगे।

(2) यह आयु सीमाएं किसी भी अन्य दशा में शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थी को उच्च पद पर चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं.**– अभ्यर्थी के पास अनुसूची–तीन में दर्शाई गई सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिएः

अभ्यर्थी जो अन्यथा अर्ह है, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यताप्राप्त नहीं है; उपाधियां प्राप्त की हैं, समिति के विवेकाधिकार पर चयन में प्रवेश के लिए विचार किया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि किसी आपवादिक मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुशंसा पर किसी ऐसे अभ्यर्थी पर विचार कर सकेगी, जो इस धारा में विहित अर्हताएं नहीं रखता है, परंतु जिससे अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार किए जाने को न्यायोचित ठहराती हो।

(तीन) **फीस.**– अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस (शुल्क) का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**–

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के किसी भी प्रयास की दशा में उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड/आयोग द्वारा निरर्हित ठहराया जा सकेगा।

(2) कोई अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए विहित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया हो, वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्ह होगाः

परन्तु कोई अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक बच्चों का जन्म होता है, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्ह नहीं होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अरोप का दोष सिद्ध ठहराया गया हो, सेवा के लिए निरर्ह होगाः

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध मामला न्यायालय में लंबित है वहां उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चिय तक लंबित रखा जाएगा।

(4) कोई अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नि हो, सेवा के लिए निरर्ह होगाः

परन्तु सरकार यदि संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं तो ऐसे किसी अभ्यर्थी को इन नियमों के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी।

10. **पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– परीक्षा/चयन में, प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चिय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया है परीक्षा के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**–

(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से आयोजित की जाएगी जैसा की नियुक्ति प्राधिकारी, समिति के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे तथा परीक्षा सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

(2) परीक्षा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत पद, अनुसूचित जनजातियों के लिए 20 प्रतिशत पद एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 27 प्रतिश्त पद आरक्षित रखे जाएंगे। उक्त आरक्षित पदों में 10 प्रतिशत पद केन्द्र सरकार के संविधान (एक सौ तीनवे संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अनुसार कमजोर आय वर्ग के अनारक्षित अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 33 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था समस्तर एवं प्रभागवार होगी।

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, पर नियुक्ति के लिए विचार उसी क्रम से किया जाएगा जिस क्रम से उनके नाम नियम, 12 में विनिर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए बोर्ड/आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए चयनित किया गया हो, उप–नियम (3) के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कतिपय कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्तों के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए, कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्तें शिथिल कर सकेगा।

(8) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र दिनांक 25 जुलाई, 2018 के अनुसार भर्ती किए जाने वाले पदों के 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे।

(9) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के अनुसार 27 प्रतिशत पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगे।

12. **चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.–**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर में अर्हित नहीं हैं फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हैं, शासन को अग्रेषित करेगा। सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित भी किया जाएगा।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हैं।

(3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची की विधिमान्यता की अवधि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक के लिए रहेगी और उसे चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श पश्चात् 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

13. **परिवीक्षा.**– सीधी भर्ती द्वारा सेवा में चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी तीन वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। इस कालावधि के दौरान प्रथम वर्ष के लिए पद के न्यूनतम वेतनमान की 70% द्वितीय वर्ष के लिए 80% एवं तृतीय वर्ष के लिए 90% राशि वेतन के रूप में देय होगी। वेतनमान में वेतन परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रारंभ किया जाएगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**–

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे, किन्तु छानबीन/पदोन्नति समिति के पीठासीन अधिकारी के अलावा यदि कोई अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ऐसे प्रवर्ग के समकक्ष संवर्ग का कोई अन्य अधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

(2) समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के ऐसे अंतरालों से अपनी बैठक करेगी।

(3) पदोन्नति में आरक्षण तथा अध्ययन क्षेत्र के विस्तार की सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियमों, निर्देशों के अनुसार होगी।

15. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए पात्रता की शर्तें.**–

समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को, उन पदों पर, जिनसे की पदोन्नति की जानी है, अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप से) पूर्ण कर ली हो और जो विचारण क्षेत्र में आते हों:

परन्तु इस नियम के अधीन उनके निर्धारित सेवा की अवधि पूर्ण करने के आधार पर किसी कनिष्ठ व्यक्ति पर चयन श्रेणी/पदोन्नति के लिए उससे वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**–

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए उपयुक्त ठहराया गया हो। चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए अनपेक्षित रिक्तियों को

पूरा करने के लिए सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों से मिल कर बनने वाली एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी।

(2) चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी पर तथा द्वितीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगा।

(3) चयन सूची में सम्मिलित किए गए अभ्यर्थियों के नाम, ऐसी चयन सूची तैयार किए जाने के समय अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः– कोई व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, उसका केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही, उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि चयन पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित है, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।

17. **चयन सूची.–**

(1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक कि वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है, तो वह प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में समिति को सूचित करेगा तथा समिति की टिप्पणियों आदि, कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे उपांतरण, यदि कोई हों, करने के पश्चात् सूची को अंतिम रूप प्रदान तथा अनुमोदित करेगा, जो उसकी राय में न्यायपूर्ण तथा उचित हों।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी/सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची अनुसूची–चार में यथादर्शित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः नियम 16 के उप–नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिए जाने तक प्रवृत्त रहेगी किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.–**

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जाएंगी जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आए हों:

परन्तु जहां प्रशासनिक आवश्यकता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सरकार का वह समाधान हो जाए कि रिक्ति संभवतः तीन मास से अधिक अवधि के लिए संभाव्य नहीं है।

(2) साधारणतः किसी व्यक्ति जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, की सेवा में उसकी नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तक तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई गिरावट न आ गई हो जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बनाती हो।

19. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो वह आयुक्त/संचालक, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे कि ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से, जो कि उन्हें उचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**– इन नियमों के तत्स्थानी और इसके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई काईवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई काईवाई समझी जाएगी।

अनुसूची–एक
(नियम 5 में देखिए)
सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

विभाग का नाम	अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुभाग (क) पुरातत्व एवं संग्रहालय	1.	अधीक्षक	1	तृतीय–श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	42700–135100(एल–10)	मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (राज्य वेतन आयोग) के परिपत्र दिनांक 7–6–2018 के अनुक्रमांक 2 सारणी 17 अनुसार।
	2.	सहायक अधीक्षक	2	–तदैव–	36200–114800(एल–9)	–तदैव–
	3.	शीघ्रलेखक	1	–तदैव–	28700–91300(एल–7)	100 शब्द प्रति मिनिट की गति के साथ अंग्रेजी/हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा तथा अंग्रेजी/हिन्दी टायपिंग 30 शब्द प्रति मिनिट उत्तीर्ण होना चाहिए।
	4.	सहायक ग्रेड–एक (2) मुख्य लिपिक (2)	4	–तदैव–	28700–91300(एल–7)	–
	5.	लेखापाल	5	–तदैव–	28700–91300(एल–7)	मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश दिनांक 17.07.2017 के अनुक्रमांक 3 के अनुसार लेखा प्रशिक्षण स्कूल, मध्यप्रदेश शासन द्वारा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
	6.	ऑडीटर	1	–तदैव–	28700–91300(एल–7)	–तदैव–
	7.	सहायक ग्रेड–दो	28	–तदैव–	25300–80500(एल–6)	

	8. 9. 10.	*स्टेनोटायपिस्ट सहायक ग्रेड–तीन *कम्प्यूटर ऑपरेटर	7 40 } 49 2	–तदैव–	19500–62000(एल–4) 19500–62000(एल–4) 19500–62000(एल–4)	* – *
अनुभाग (ख) अभिलेखागार	1.	सहायक अधीक्षक	1	–तदैव–	32800–103600(एल–8)	ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसा के प्रकाश में सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के अनुसार सहायक ग्रेड–1 का वेतनमान 4500–7000 है सहायक ग्रेड–एक का वेतनमान 5000–150–8000 से सहायक अधीक्षक के पद पर पदोनत होने की दशा में लागू है।
	2.	सहायक ग्रेड–एक	2	–तदैव–	28700–91300(एल–7)	–
	3.	स्टेनोग्राफर	1	–तदैव–	28700–91300(एल–7)	–
	4.	लेखापाल	1	–तदैव–	28700–91300(एल–7)	वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19.07.2017 के अनुक्रमांक 3 के अनुसार अभ्यर्थी को लेखा प्रशिक्षण स्कूल, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
	5.	सहायक ग्रेड–दो	4	–तदैव–	25300–80500(एल–6)	–
	6.	सहायक ग्रेड–तीन	5	–तदैव–	19500–62000(एल–4)	–

* वित्त विभाग के परिपत्र क्रं. एफ–8–6/2015/नियम/4, दिनांक 19.07.2017 के अनुसार समान वेतनमान वाले स्टेनोटायपिस्ट के 7 पद तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर के 2 पदों को सहायक ग्रेड–तीन के पदों में एकीकृत किया गया है। स्टेनोग्राफर पद में पदोन्नत के लिए उपबंध, अनुसूची–चार में रखा गया है; भविष्य में, इन पदों को स्टेनो–टायपिस्ट से भरे जाएंगे।

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			अभियुक्ति
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (क) देखिए]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (ख) देखिए]	अन्य सेवा से स्थानांतरण द्वारा (नियम 6 (ग) देखिए)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लिपिकवर्गीय तृतीय–श्रेणी						
अनुभाग (क) पुरातत्व एवं संग्रहालय	1. अधीक्षक	1	–	100%	–	–
	2. सहायक अधीक्षक	2	–	100%	–	–
	3. शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)	1	75%	25%	–	–
	4. सहायक ग्रेड–एक (2)/ मुख्य लिपिक (2)	4	-	100%	–	–
	5. लेखापाल	5	-	100%	–	लेखा प्रशिक्षण स्कूल, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
	6. आडीटर	1	-	100%	–	तदैवा
	7.सहायक ग्रेड–दो	28	-	100%	–	–
	*8.स्टेनो टायपिस्ट 9.सहायक ग्रेड–तीन *10.कम्प्यूटर ऑपरेटर	7 40 2 } 49	75%	25%	* *	उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु जिन्होने 10+2 शिक्षा प्रणाली से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा

						उत्तीर्ण की हो तथा कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।
अनुभाग (ख) अभिलेखागार	1.सहायक अधीक्षक	1	-	100%	–	–
	2.सहायक ग्रेड–एक	2	-	100%	–	–
	3.शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)	1	75%	25%	–	
	4.लेखापाल	1	-	100%	–	लेखा प्रशिक्षण स्कूल, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
	5. सहायक ग्रेड–दो	4	-	100%	–	–
	6.सहायक ग्रेड–तीन	5	75%	25%		सहायक ग्रेड–तीन के 25% पद उन चतुर्थ–श्रेणी कर्मचारियों से भरे जाएंगे, जिन्होने 10+2 शिक्षा प्रणाली से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।

अनुसूची–तीन
(नियम–8 देखिए)
सीधी भर्ती के लिए आयु तथा अर्हताएं

विभाग का नाम	सेवा में पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भाग (क) पुरातत्व एवं संग्रहालय	लिपिकवर्गीय सेवा 1. शीघ्रलेखक	18 वर्ष	40 वर्ष	1. किसी मान्यताप्राप्त संस्था अथवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश से 10+2 प्रणाली में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. मान्यताप्राप्त संगठन/परिषद् से 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से शार्टहैण्ड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। 3. 25 शब्द प्रतिमिनिट की गति के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (CPCT) कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता प्रमाण पत्र। 4. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक से कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :– (1) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यू.जी.सी. डिप्लोमा। (2) किसी भी मान्यताप्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से यू.जी. सी. डिप्लोमा। (3) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (4) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र।
	2. सहायक ग्रेड–3 (स्टेनोटायपिस्ट एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद एकीकृत होने से एवं समान कार्य एवं समान वेतनमान होने से भविष्य में सहायक ग्रेड–3 के पद पर पदपूर्ति की जाएंगी।)	18	40	1. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से अथवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश से 10+2 प्रणाली में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. 25 शब्द प्रतिमिनिट की गति के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (CPCT) कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता प्रमाण पत्र। 3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक से कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए:– (1) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यू.जी.सी. डिप्लोमा। (2) किसी भी मान्यताप्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से यू.जी. सी. डिप्लोमा। (3) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (4) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र।

भाग (ख) अभिलेखागार अनुभाग	1. शीघ्रलेखक	18	40	1. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से अथवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश से 10+2 प्रणाली में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. मान्यताप्राप्त संगठन/परिषद् से 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से शार्टहैण्ड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। 3. 25 शब्द प्रतिमिनिट की गति के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (CPCT) कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता प्रमाण पत्र। 4. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक से कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए:– (एक) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यू.जी.सी. डिप्लोमा। (दो) किसी भी मान्यताप्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से यू.जी. सी. डिप्लोमा। (तीन) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (चार) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र।
	2.सहायक ग्रेड–3	18	40	1. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से अथवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश से 10+2 प्रणाली में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. 25 शब्द प्रतिमिनिट की गति के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (CPCT) कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता प्रमाण पत्र। 3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक से कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए:– (एक) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यू.जी.सी. डिप्लोमा। (दो) किसी भी मान्यताप्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से यू.जी. सी. डिप्लोमा। (तीन) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (चार) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र।

अनुसूची–चार
(नियम 14 देखिए)
पदोन्नति द्वारा नियुक्ति

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			पुरातत्व एवं संग्रहालय		
(क) पुरातत्व अनुभाग एवं संग्रहालय	1.सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	5 वर्ष	(1) संचालक/आयुक्त पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय – अध्यक्ष (2) संयुक्त संचालक– सदस्य (3) उपसंचालक – सदस्य/संयोजक (4) आयुक्त/संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालय का सदस्य अधिकारी– सदस्य (5) आरक्षित श्रेणी का एक सदस्य– सदस्य	–"–
	2. सहायक ग्रेड–एक, मुख्य लिपिक, लेखापाल, आडीटर	सहायक अधीक्षक	5 वर्ष	–तदैव–	–"–
	3. सहायक ग्रेड–दो	सहायक ग्रेड–एक/मुख्य लिपिक /लेखापाल /आडीटर	5 वर्ष	–तदैव–	लेखापाल एवं आडीटर के पद पर पदोन्नति हेतु लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
	4. सहायक ग्रेड–तीन /कम्प्यूटर ऑपरेटर	सहायक ग्रेड–दो	5 वर्ष	–तदैव–	–तदैव–
	5. स्टेनो टायपिस्ट (वर्तमान में कार्यरत)	स्टेनोग्राफर	5 वर्ष	–तदैव–	वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ8–6/2015/नियम/चार दिनांक 19.7.2017 के स.क्र.2 के अनुसार यदि स्टेनोग्राफर के लिए अपेक्षित 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति की पूर्ति होने पर स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नति दी जाएंगी। यदि अपेक्षित योग्यता पूरी नहीं होती है तो वह सहायक ग्रेड–दो पर पदोन्नत होगा।
	6. दफ्तरी/हेड केयर टेकर/भृत्य/चौकीदार /केयर टेकर	सहायक ग्रेड–तीन	5 वर्ष	–तदैव–	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु 10+2 शिक्षा प्रणाली से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।

अनुभाग (ख) अभिलेखागार	1.सहायक ग्रेड–1 /लेखापाल	सहायक अधीक्षक	5 वर्ष का अनुभव	1. आयुक्त/संचालक पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय–अध्यक्ष 2. उप संचालक, अभिलेखागार–सदस्य 3. पुरालेख अधिकारी (संयोजक सदस्य) –सदस्य 4. आयुक्त/संचालक द्वारा नाम– निर्दिष्ट कोई अधिकारी – सदस्य 5. आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी– सदस्य	–
	2. सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–1/ लेखापाल	5 वर्ष	–	लेखापाल के पद पर पदोन्नति के लिए लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
	3. सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–2	5 वर्ष	–	–
	4दफ्तरी/मेण्डर/भृत्य/लिफ्टर	सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष	–	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

टीपः–

1. वर्तमान में 07 स्टेनोटायपिस्ट के पद स्वीकृत हैं। अब इन पदों को समान वेतनमान वाले पद सहायक ग्रेड–3 के पद पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रं. एफ 8–6/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 19.07.2017 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वर्तमान में जो स्टेनोटायपिस्ट कार्यरत् हैं, वे यथावत् रहेंगे, उनके पदत्याग अथवा सेवानिवृत्त होने के पश्चात् यह पद स्वमेव ही सहायक ग्रेड–3 के पद में समाहित माने जावेंगे एवं भविष्य में स्टेनोटायपिस्ट पदनाम से पूर्ति नहीं की जावेगी।

2. अनुसूची–दो में उल्लेखित सीधी भर्ती या पदोन्नति वाले पदों के रिक्त होने की स्थिति में कार्यालयीन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे इस उद्देश्य से इन पदों की पूर्ति होने तक की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति या आउटसोर्स के माध्यम से पदपूर्ति की जा सकेगी।

3. अध्यक्ष के अतिरिक्त जिन पदाधिकारियों को चयन समिति/छानबीन समिति सदस्य के रूप में नाम निर्देशित किया गया है. यदि उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य के रूप में यदि कोई अधिकारी नहीं है, तो ऐसे प्रवर्गों के समकक्ष संवर्ग सेवा के किसी एक अधिकारी को चयन समिति में नाम निर्देशित किया जाए और चयन समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाए। यह कार्यवाही संबंधित स्थापना द्वारा की जाएगी तथा इसका अनुमोदन एक स्तर ऊपर के अधिकारी से कराया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी–3–8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी या समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd August 2024

S.No. F 01-18/2015/30:: In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of this Department's Notification No. F.1-27-95-C-XXX Dated 30th April 1999, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the members of the Archaeology, Archives and Museums Class III (Non-Gazetted) Clerical Service, namely :-

RULE

1. **Short title and commencement-**

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Archaeology, Archives and Museums Class-III (Non-Gazetted) Clerical Service Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions:-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service or a post means the Commissioner/ Director of Archaeology, Archives and Museums;

(b) "Commissioner" means the Commissioner of Archaeology, Archives and Museums Madhya Pradesh;

(c) "Director " means the Director of Archaeology, Archives and Museums Madhya Pradesh;

(d) "Economically weaker Section"(E.W.S.) means a citizen who does not comes under any reserved category such as Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Circular of General Administration Departmentbearing No. F-07-11/2019/आ.प्र./one, dated 2nd July, 2019;

(e) "Examination" means a competitive examination conducted for recruitment under rule 11;

(f) "Ex-Serviceman" means a person who belongs to any of the following categories and was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(1) ex-serviceman released under mustering out concession;

(2) ex-serviceman who was employed for more than six months continuously in army of country and not released due to any misconduct;

(3) ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on;

(a) completion of short term engagement;

(b) fulfilling the conditions of enrolment;

(4) ex-personnel of Madras Civil Units;

(5) officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc. or they are unlikely to become efficient soldiers;

(g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(h) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(j) "Retrenched Government Servant" means a person who was in a temporary Government Service of this State or of any of constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at the employment exchange or an application made otherwise for employment in Government Service;

(k) "Schedule" means Schedules appended to these rules;

(l) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

(m) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(n) "Selection Committee" means the Selection Committee as approved by the State Government;

(o) "Service" means the Madhya Pradesh Archaeology, Archives and Museums, Class-III (Non-Gazetted) Clerical Service;

(p) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application.**- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.**- The service shall consist of the following persons,namely:-

(a) persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity of the postsspecified in Schedule-1;

(b) personsrecruited to the service before the commencement of these rules; and

(c) persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification,scale of pay etc.**-The classification of the service, the scale ofpay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or on a temporary basis.

6. **Method of Recruitment.-**

(1) After the commencement of these rules, recruitment to the service shall be made in the following methods, namely:-

(a) by competitive examination or by direct recruitment;

(b) by promotion of the members of the service as specified in column (2) of Schedule-IV;

(c) by transfer of such persons holding such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a) or clause (c) of sub-rule (1) shall not be at any time exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the services,as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited

by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation withthe Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so requires, then the Government may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such method for recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, which may be prescribed by the order issued in this behalf.

7. Appointment to the service.-All appointments to the service, after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.-In order to be eligible for direct recruitment, a candidate must fulfill the following conditions, namely:-

(1) **Age:**-

(a) The candidate must have completed the age as specified in column (3) of Schedule-III on the first day of January next following the date of commencement of the examination/ selection and must not have completed the age as specified in column (4) of the said Schedule;

(b) If the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes or in case of upper caste's spouses of married couples under the Inter-Caste Marriage Promotion Programme, the normal upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years;

(c) In accordancewith the provisions of rule 4 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997, the upper age limit of female candidateshall be relaxable by 5 years;

(d) In respect of those candidates who are or have been employees of Madhya Pradesh Government, the upper age limit shall be relaxable to that extent and subject to the conditions specified below, namely:-

(i) a candidate who is a permanent Government servant shall not be more than 45 years of age;

(ii) in respect of the male and female candidates working under the Government/ Corporation/ Board/ Autonomous body and Nagar Sainik and male and female candidates belonging to reserved category and all female candidates including widow/ abandoned/ divorced, the maximum age limit shall be 45 years:

Provided that the maximum age limit for any cadre including all relaxations in any case shall not be exceed more than 45 years;

(iii) a candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of entire defence service previously rendered by him provided that the resulting age does not exceed the upper age limit by three years.

(f) The normal upper age limit shall be relaxable by 5 years in respect of widow, destitute or divorced female candidates.

(g) The normal upper age limit shall also be relaxed by five years in respect of upper caste spouses of couples awarded under the Inter-caste Marriage Promotion Program of the Tribal Castes, Scheduled Castes and Other Backward Classes Welfare Department.

(h) The normal upper age limit shall also be relaxable by five years in respect ofVikram Award holder candidates.

(i) In relation to those candidates who are employees of the Madhya Pradesh State Corporation/ Board, the upper age limit shall be relaxable up to 45 years,

(j) In respect of voluntary city soldiers and non-commissioned officers, the upper age limit shall be relaxable up to 8 years subject to the period of service so completed by them, but in no case their age shall exceed 40 years should be.

Note:-(1) Such candidates who have been found eligible for selection under the age related relaxations mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above. If they resign from the service before or after the selection after sending the application, they shall not be eligible for appointment. However, if they are retrenched from their service or post after submitting the application, they shall remain eligible for appointment.

(2) These age limits shall not be relaxed in any other case. It shall be necessary for the departmental candidates to obtain prior permission of the Appointing Authority to appear for selection on the higher post.

(2) **Educational Qualifications.**– The candidate must possess the prescribed educational qualifications for the service shown in Schedule-III:

Provided that candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign universities being universities not specifically recognized by the Government also be considered for selection at the discretion of the Committee:

Provided further thatin an exceptional case, the Committee may, on the recommendation of the Appointing Authority, consider a candidate, who although, does not possess any of the qualifications prescribed in this section, but has passed the examination conducted by other institutions of suchstandard that the Committee in the opinion that justifies consideration of the candidates for selection.

(3) **Fees**.- The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. Disqualification.-

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority/ Board/Commission to disqualify him from admission to the examination.

(2) Any candidate who married before minimum age limit prescribed for marriage, shall be disqualified for appointment on any post or service:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after the 26th day of January, 2001, in which two or more than two children are born.

(3) Any candidate who was proved convict in the charge against women, shall be disqualified for service:

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case.

(4) Any candidate who have more than one living wives and any female candidate who married such a person, who already has a living wife, shall be disqualified for service:

Provided that the Government may, if satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.

10. The decision of the Appointing Authority regarding eligibility shall be final.-In the examination/ selection, the decision of the Appointing Authority regarding the eligibility or otherwise of any candidate for admission shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued shall be permitted for examination.

11. Direct recruitment by competitive examination.-

(1) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may in consultation with the Committee from time to time determine and the examination shall be held in accordance with such orders issued by the Government.

(2) The examination shall be conducted by the selection committee as per the orders issued from time to time.

(3) Forthe direct recruitment, the posts shall be reserved, 16% posts for the Scheduled Castes, 20% posts for the Scheduled Tribes and 27% posts for Other Backward Classes candidates in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh LokSeva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998. In the said reserved posts, 10 percent posts shall be reserved for the Economically Weaker Sections (E.W.S.), as per the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 of the Central Government.

(4) According to the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997, 33 percent posts shall be reserved for women candidates. The system of reservation for physically challenged candidatesshall be at all levels and division-wise.

(5) In filling of the vacancies so reserved, those candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, they shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the select list as specified in rule 12, irrespective of their relative rank as compared to other candidates.

(6) The candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes selected for appointment in the service with due regard to maintenance of efficiency of administration, may be appointed by the Board/Commission on the vacancies reserved for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be, under sub-rule (3).

(7) In such cases where a certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled by direct recruitment and in the opinion of the appointing authority it is found that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes sufficient number is not likely to be available, Appointing Authority, may relax the experience conditions for candidates belonging to theScheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) According to the circular of the General Administration Department, Governmentof Madhya Pradesh, dated 25th July, 2018, 20 percent of the posts to be recruited shall be reserved for contractual officers/employees.

(9) According to the letter of the General Administration Department, Governmentof Madhya Pradesh, dated 2nd September, 2021, 27% posts shall be reserved for Other Backward Classes.

12. List of candidates recommended by the selection committee-

(1) The Appointing Authority shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Appointing Authoritymay determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard are declared by the Appointing Authorityto be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the select list.

(3) The inclusion of candidate's name in the select list shall confer no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The duration of validity of select list shall be one year from the date of issue by the Appointing Authorityand it may be extended for a period of 6 months after consultation of the selection committee/ Appointing Authority.

13. Probation.-Every person selected in service by direct recruitment shall be appointed on probation for a period of three years. During this period an amount of 70% for 1st year, 80% for 2nd year and 90% for 3rd year of minimum pay scale of the post shall be payable as the stipend. The pay in the pay scale shall be started after completion of probation period successfully.

14. Appointment by promotion.–

(1) A committee shall be constituted to make the initial selection for promotion of eligible candidates which shall have the members mentioned in Schedule-IV, but apart from the presiding officer of the screening/promotion committee, if there is any Scheduled Castesor the Scheduled Tribes is not represented, then any other officer of equivalent cadre of such categoryshall be included in the Departmental

Promotion Committee and the membership strength of the committee shall be increased to that extent.

(2) The committee shall generally held its meetings at such intervals of not more than one year.

(3) The extent of reservation in promotion and expansion of the study area shall be as per the rules and instructions issued, from time to time by the General Administration Department.

15. Conditions of eligibility for promotion/transfer.-

The Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year have completed such number of years of service (whether officiating or substantively) on the posts from which promotion is to be made as specified in Schedule-IV and are within the zone of consideration:

Provided that no junior person shall be considered for selection grade/promotion in preference to the person senior to him on the basis of his completing the prescribed period of service under this rule.

16. Preparation of the list of suitable candidates.-

(1) The committee shall prepare a list of such personwho satisfies the conditions prescribed in rule 15above and as are held by the committee to be suitable for promotion/ transfer to the service. A reserve list shall also be prepared to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course

of one year from the date of preparation of the select list, consisting of 25% of the number of persons included to meet the unforeseen vacancies.

(2) The criteria for preparing the select list of persons for promotion from Class-IV to Class-III and Class-III to Class-II shall be on the basis of seniority-cum-suitability (seniority subject to fitness).

(3) The names of the candidates included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in Schedule-IV at the time of preparation of such select list.

Explanation: A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The select list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reason for the proposed supersession.

17. Select list.-

(1) The Appointing Authority shall consider the list prepared by the Committee along with other documents received from the Committee and unless it considers any change necessary, shall approve the list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any changes in the list received from the Committee, he shall inform the Committee of the proposed change and after considering the comments, etc., if any, of the Committee, the list shall be finalized after making such modifications, if any, approve with which in his opinion is just and appropriate.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority/ Government shall form the select list for promotion of the members of the service as shown in Schedule-IV.

(4) The select list shallordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16, but its validity shallnot be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

18. Appointment to the service from the select list.-

(1) Appointment to the service cadre posts of the employees included in the select list shall be made in the same order in which the names of such employees appear in the select list:

Provided that where it is required to do so due to administrative necessity, any person whose name has not been included in the select list, then appointment to the service can be made if the Government is

satisfied that the vacancy is not feasible for a period exceeding to a period of three months.

(2) Generally, it shall not be necessary for a person, whose name is included in the select list of the service, to consult the Departmental Promotion Committee before his appointment to the service, until his name is included in the select list and the proposed appointment is made. There has been any deterioration in his performance during the period between the dates of appointment and selection which, in the opinion of the Appointing Authority renders him unfit for appointment to the service.

19. Interpretation.- If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government through the Commissioner/Director, Archeology, Archives and Museums Department, on which its decision thereon shall be final.

20. Relaxation.-Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and suitable:

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. Repeal and Saving.-

All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I

(see rule 5)

Classification of Service, scale of pay and the number of posts included in the service

Name of the Department	S. No.	Name of the posts included in the service	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Section (A) Archaeology and Museums	1.	Superintendent	1	Class-III (Ministerial)	42700-135100 (L-10)	As per Circular dated 7-6-2018 S.No. 2 Table-17 of Department of Finance (State Pay Commision) Government of Madhya Pradesh
	2.	Assistant Superintendent	2	-Do-	36200-114800 (L-9)	-Do-
	3.	Stenographer	1	-Do-	28700-91300 (L-7)	Must have passed English/Hindi Shorthand examination with a speed of 100 words per minute and English/Hindi Typing 30 words per minute .
	4.	Assistant Grade-I (2)/ Head Clerk (2)	4	-Do-	28700-91300 (L-7)	---
	5.	Accountant	5	-Do-	28700-91300 (L-7)	According to the Finance Department's Government of Madhya Pradesh Order dated 19-7-2017 S.No. 3, must have passed Accounts examination recognized by Accounts Traning School, Government of Madhya Pradesh
	6.	Auditor	1	-Do-	28700-91300 (L-7)	-Do-

	7.	Assistant Grade-II	28	-Do-	25300-80500 (L-6)	---
	8. 9. 10.	* Steno Typist Assistant Grade-III *Computer Operator	7 40 } 49 2	-Do-	19500-62000 (L-4) 19500-62000 (L-4) 19500-62000 (L-4)	* *
Section (B) Archives	1.	Assistant Superintendent	1	-Do-	32800-103600(L-8)	As per the approval of General Administration Department, in the light of Brahmswaroop Committee's recomomendations, the scale of Assistant Grade-I is 4500-7000, which is applicable only in case of promotion on Assistant Superintendent from Assistant Grade-I pay scale Rs. 5000-150-8000
	2.	Assistant Grade-I	2	-Do-	28700-91300 (L-7)	---
	3.	Stenographer	1	-Do-	28700-91300(L-7)	---
	4.	Accountant	1	-Do-	28700-91300 (L-7)	According to the Finance Department's Order dated 19-7-2017 S.No. 3, the candidate must have passed Accounts examination recognized by Accounts Traning School, Government of Madhya Pradesh
	5.	Assistant Grade-II	4	-Do-	25300-80500(L-6)	---
	6.	Assistant Grade-III	5	-Do-	19500-62000(L-4)	---

*** According to the Finance Department's Circular No. F-8-6/2015/Rule/4, dated 19.07.2017, 7 posts of Stenotypist and 2 posts of Computer Operator 2 having the same scale of pay been integrated into the posts of Assistant Grade-III. The provisions for promotion to the post of Stenographer has been kept in Schedule-IV, in future, these posts shall be filled from amongst the Steno-typist.**

SCHEDULE-II

(see rule 6)

Method of Recruitment

Name of the Department	Name of service	Total No. of posts	Percentage of the number of posts to be filled in			Remarks
			By Direct Recruitment [see rule 6 (a)]	By promotion of the member of the service [see rule 6 (b)]	By transfer form other service [see rule 6 (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Section (A) Archaeology and Museums	Ministerial Class-III					
	1. Superintendent	1	-	100%	-	-
	2. Assistant Superintendent	2	-	100%	-	-
	3. Stenographer	1	75%	25%	-	-
	4. Assistant Grade-I (2) / Head Clerk (2)	4	-	100%	-	-
	5.Accountant	5	-	100%	-	Must have passed accounts examination recognized by Accounts Training School, Government of Madhya Pradesh
	6. Auditor	1	-	100%	-	-do-
	7. Assistant Grade-II	28	-	100%	-	-
	8. Stenotypist 9. Assistant Grade-III 10. Computer Operater	7 40 } 49 2	75%	25%	- -	For the promotion of those Class-IV employees who have passed Higher Secondary Examination from 10+2 education system and must have completed at least 5 years of regular service

Section (B) Archives	1.Assistant Superintendent	1	-	100%	-	-
	2. Assistant Grade-I	2	-	100%	-	-
	3. Stenographer	1	75%	25%	-	-
	4.Accountant	1	-	100%	-	Must have passed accounts examination recognized by Accounts Training School, Government of Madhya Pradesh
	5.Assistant Grade-II	4	-	100%	-	---
	6. Assistant Grade-III	5	75%	25%	-	25% posts of Assistant Grade-III shall be filled by those Class-IV employees who have passed High School Examination from 10+2 Education system and have completed atleast 5 years of service as regular Employee.

SCHEDULE-III

(see rule 8)

Age and Qualifications for direct recruitment

Name of the Department	Name of the post in service	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualifications
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Section (A) Archaeology and Museums	Ministerial Service 1.Steno grapher	18 Years	40 Years	1. Must have passed Higher Secondary Examination in 10+2 pattern form any recognized Institution or Board of Secondary Education, Madhya Pradesh. 2. Certificate of passing Shorthand with the speed of 100 words per minute from recognized Organizations/Council. 3. Information Technology (CPCT) computer typing efficiency certificate with a speed of 25 words per minute. 4. Must have passed the Computer Diploma/Certificate examination from any one of the following recognized Institutions: - (i) UGC Diploma from any recognized University. (ii) U.G.C. Diploma from any recognized Open University (iii) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College (iv)One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate from Government Industrial Training Institute.
	2. Assistant Grade-III (Due to integration of the posts of Stenotypist and Computer Operator and similar work and same scale of pay, the post of Assistant Grade-III shall be filled in future.)	18 Years	40 Years	1. Must have passed Higher Secondary Examination form any recognized Institution or Board of Secondary Education, Madhya Pradesh 2. Information Technology (CPCT) computer typing efficiency certificate with a speed of 25 words per minute. 3. Passed the Computer Diploma / Certificate examination from any one of the following recognized Institutions: - (i) UGC Diploma from any recognized University. (ii) U.G.C. Diploma from any recognized Open University (iii) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College (iv) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate from Government Industrial Training Institute.

Section (B) Archives	1. Stenographer	18 Years	40 Years	1. Must have passed Higher Secondary Examination form any recognized Institution or Board of Secondary Education, Madhya Pradesh 2. Certificate of Passing Shorthand with a speed of 100 words per minute from recognized Organizations/Council. 3.Information Technology (CPCT) computer typing efficiency certificate with a speed of 25 words per minute. 4.Must have passed the Computer Diploma/Certificate examination from any one of the following recognized Institutions: - (i) UGC Diploma from any recognized University. (ii) U.G.C. Diploma from any recognized Open University (iii) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College (iv) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate from Government Industrial Traning Inistitute.
	2. Assistant Grade-III	18 Years	40 Years	1. Must have passed Higher Secondary Examination form any recognized Institution or Board of Secondary Education, Madhya Pradesh. 2. Information Technology (CPCT) computer typing efficiency certificate with a speed of 25 words per minute. 3. Passed the Computer Diploma / Certificate examination from any one of the following recognized Institutions: - (i) UGC Diploma from any recognized University. (ii) U.G.C. Diploma from any recognized Open University (iii) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College (iv) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate from Government Industrial Taining Institute.

SCHEDULE-IV

(see rule 14)

Appointment by Promotion

Name of the Department	Name of post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Minimum service for promotion	Members of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Section (A) Archaeology and Museums	1.Assistant Superintendent	Superintendent	5 Years	1.Director/ Commissioner, Archaeology, Archives and Museums **- Chairman** 2. Joint Director **- Member** 3.Deputy Director **-Member/ Convener** 4. Officer member of regional office nominated by Commissioner / Director. **- Member** 5. One Member of reserved category. **- Member**	---
	2. Assistant Grade-I, Head Clerk, Accountant, Auditor	Assistant Superintendent	5 Years	-Do-	---
	3. Assistant Grade-II	Assistant Grade-I/ Head Clerk/ Accountant/ Auditor	5 Years	-Do-	Must have passed accounts traning for promotion for the post of Accountant and Auditor
	4. Assistant Grade-III /Computer Operator	Assistant Grade-II	5 Years	-Do-	---

	5. Stenotypist (Working in present)	Stenographer	5 Years	-Do-	Promotion shall be made as per the Finance Department's Circular No. F 8-6/2015/ Rules/Four dated 19.7.2017, mentioned at S.No. 2. promotion to the post of Stenographer shall be given if the required speed of 100 words per minute for the post of Stenographer is fulfilled. If the required qualification is not fulfilled, then he shall be promoted to Assistant Grade-II.
	6.Daftary/Head Care-Taker/Peon/ Chowkidar/Care-Taker.	Assistant Grade-III	5 years	-Do-	For the promotion of Class-IV employees, those who have passed Higher Secondary Examination from 10+2 Education System and have completed at least 5 years of regular service.

Section (B) Archives	1. Assistant Grade-I/ Accountant	Assistant Superintendent	5 years	1. Commissioner/ Director, Archaeology Archives & Museums- **Chairman** 2. Dy.Director,Archives- **Member** 3. Archives Officer. (Member Organizer)- **Member** 4.Nominated Officer by the Commissioner/ Director- **Member** 5- One Member of reserved category-**Member**	-
	2. Assistant Grade-II	Assistant Grade-I /Accountant	5 years	-	Must have passed Accounts training Examination for Promotion to the post of Accountant.
	3. Assistant Grade-III	Asstt.Grade-II	5years	-	-
	4. Daftari/ Mendar/ Peon/Lifter	Assistant Grade-III	5years		Must have passed Higher Secondary Examination

Note:-

1. At present 7 stenotypist posts are sanctioned. Now these posts have been replaced by the post of Assistant Grade-III with the same scale of pay Finance Department's Circular no.F 8-6/2015/Rules/Four Bhopal, dated 19.07.2017. The stenotypists who are currently working Shall remain as they are, after their resignation or retirement, this post shall automatically be considered to be included in the post of Assistant Grade-III and shall not be filled with the designation of Steno typist in future.

2 . In case of vacancy of direct recruitment or promotion posts mentioned in Schedule-II, in order to keep the office system running smoothly, the posts shall be filled through deputation or outsource for the period till these posts are filled.

3.Apart from the Chairman, the officials who have been nominated as members in the Selection Committee/Scrutiny Committee. If there is no officer among them as a member of Scheduled Caste/Scheduled Tribe or Other Backward Class, then one officer of equivalent cadre service of such categories shall be nominated in the selection committee and to that extent the membership of the selection committee shall be increased. This action shall be taken by the concerned establishment and its approval shall be done by an officer one level higher.

Memorandum of General Administration Department bearing No. C-3-8/2016/1/3, dated 04 July 2019, there shall be a relaxation of 5 years in the maximum age limit or the instructions issued from time to time shall be applicable.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUNIL DUBEY, Dy. Secy.

प्रारूप नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2024

क्रमांक: एफ 4(बी)1/2014/ए-16, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) अनुसूची भाग-1 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि□ राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 मास का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने या उसके पूर्व श्रमायुक्त कार्यालय, म.प्र. इंदौर (lcmpwages@mp.gov.in) को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन का प्रारूप

अधिनियम की अनुसूची भाग-1 में:-

(1) अनुक्रमांक "36-किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माण शाला में नियोजन" को विखण्डित कर, अनुक्रमांक 36 की कतिपय विशिष्टियों को सम्मिलित करते हुए, तत्पश्चात् नवीन अनुक्रमांक 36(क) "कि□सी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन" जोडा जाए:

(2) अनुक्रमांक "59-किसी होजियरी में नियोजन" को विखण्डित कर, अनुक्रमांक 59 की कतिपय विशिष्टियों को सम्मिलित करते हुए, तत्पश्चात्, नवीन अनुक्रमांक 59(क) "कि□सी वुवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपेरल निर्माण में नियोजन" जोडा जाए:

(3) अनुक्रमांक 72 के पश्चात् नवीन अनुक्रमांक 73 - "फुट वियर निर्माण में नियोजन" अंत: स्थापित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रीति मैथिल, अपर सचिव.

अंतिम विनियम
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

Bhopal, the 28th August 2024

No 1992 In pursuance to the Commission order dated 23.08.2024 in Petition No. 39/2024 for replacement of the existing meters (including stopped/defective/burnt meters) with Smart Pre-payment meters, the Commission in exercise of powers entrusted by the Ministry of Power, vide notification Ref. No. 23/35/2019-R&R, dated 23/05/2022 grants relaxation in the timeline from 30th June 2024 to 31st December 2024 for the areas and consumer categories as shown in Table below on account of reasons assigned therein:

Sr. No.	Areas	Consumers /Consumer category	Reasons for extension as submitted by the petitioners in Petition No 39/2024 and accepted by the Commission
1	2	3	4
1	All Division of AMRUT cities, with AT&C > 15%	Consumer metering for following consumers' categories :- Domestic consumers, Industrial and Commercial consumers and all Government offices at Block level and above	• The petitioners have cited significant challenges in the installation of smart meters despite notable progress. • The installation process is taking time and is governed by the timelines issued under the RFP as per the RDSS standard bidding document. It will therefore require more time and it is practically impossible to attain installation of smart meters within the relaxation granted earlier in P No. 2/2024. • As submitted by Discoms, nationwide supply shortage of Smart meters due to high demand has caused procurement delays. • It is observed that Discom-specific issues, such as contractor delays, tendering complications, and financial constraints, have further delayed the process of smart meterization necessitating an extension of the relaxation period.
2	Urban Division with >50% Urban consumers & AT&C >15%		
3	Other Divisions with AT&C > 25% in base year		

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Commission Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2024

क्रमांक 2004/मप्रविनिआ/2024 — विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (द), (ध) एवं (यत) सहपठित धारा 42 की उपधारा (5), (6) एवं (7) के अधीन प्रदत्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 {आरजी–3 (II), वर्ष 2021} जिसे एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, को संशोधित करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 में प्रथम संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021" {एआरजी–3 (II)(i), वर्ष 2024}** कहलायेंगे।

1.2 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में अपने–अपने अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्रों में प्रचालन कर रहे विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/व्यापारिक विशेषाधिकारियों **(Franchisees)** को लागू होंगे।

1.4 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन

2.1 मूल विनियमों के विनियम 2.4(ङ) के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(ङ) "शिकायत" से अभिप्रेत है इन विनियमों के विनियम 3.28 के अनुसार उपभोक्ता की शिकायतों के संव्यवहार हेतु प्रक्रिया की नियमावली **(Manual of Procedure)** में प्रदत्त किसी भी पद्धति के माध्यम से प्रस्तुत अभ्यावेदन ;"

3. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन

3.1 मूल विनियमों के विनियम 3.1 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.1 उपसंभाग, संभाग, वृत्त, क्षेत्र, कम्पनी स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी एक या एक से अधिक फोरम(ों) की स्थापना करेगा जिसे इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार 'विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम' नामोद्दिष्ट किया जाएगा। शिकायत की प्रकृति पर निर्भर तथा स्तर जिस पर इसका समाधान सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है, फोरम(ों) को विभिन्न प्रकार की शिकायतें सौंपी जा सकेंगी :

परन्तु यह कि फोरम की कार्यप्रणाली की निगरानी (monitoring) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्राधिकार से बाहर होगी तथा इसका निर्वहन केवल आयोग द्वारा ही किया जाएगा।"

3.2 मूल विनियमों के विनियम 3.2 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.2 फोरम(ों) का/के मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा/होंगे जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिसूचित किया जाए। फोरमों द्वारा, तथापि, बैठकें अपने मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी आयोजित की जा सकेंगी जिसका समग्र उद्देश्य इस भावना के अनुरूप होगा कि शिकायतों की सुनवाई तथा निपटान इन विनियमों के विनियम 3.29(क) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर हो।"

3.3 मूल विनियमों के विनियम 3.3 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.3 फोरम(ों) में वितरण अनुज्ञप्तिधारी, के दो अधिकारी, एक स्वतंत्र सदस्य तथा उपभोक्ता एवं उत्पादोभोक्ता (Prosumer) प्रतिनिधियों के रूप में सम्मिलित होंगे जिनकी संख्या 4 से अधिक न होगी। फोरम(ों) की अध्यक्षता वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समुचित वरिष्ठता वाले किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे फोरम के अध्यक्ष के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाएगा। आयोग एक स्वतंत्र सदस्य को नामोद्दिष्ट

करेगा जो उपभोक्ता मामलों से सुपरिचित हो। कम्पनी स्तर पर सदस्य/अध्यक्ष की संरचना (composition) तथा योग्यता निम्नानुसार होगी :

एक. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके अधिकारियों में से नियुक्त किये जाने वाला एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो अभियान्त्रिकी विषय में स्नातक की उपाधि का धारक होगा तथा जिसे विद्युत वितरण के क्षेत्र में कम से कम बीस (20) वर्ष का अनुभव हो एवं जिसे अधीक्षण यन्त्री के समकक्ष पद पर न्यूनतम एक वर्ष कार्य करने का अनुभव हो या जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यपालन यन्त्री के समकक्ष पद पर न्यूनतम पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव हो।

दो. वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारियों में से द्वितीय सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लेखांकन और/या राजस्व और/या वाणिज्यिक मामलों में कम से कम पन्द्रह (15) वर्ष का अनुभव हो एवं जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यपालन यन्त्री के समकक्ष पद पर न्यूनतम एक वर्ष कार्य करने का अनुभव हो।

तीन. वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को फोरम के उपरोक्त उल्लेखित दो सदस्यों के प्रत्येक स्थान/पद (position) हेतु न्यूनतम तीन अधिकारियों के नामों की सूची (panel) प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक अधिकारी के संबंध में उसकी योग्यता, अनुभव से संबंधित विवरण तथा कार्यक्षमता, सन्निष्ठा तथा प्रतिष्ठा से संबंधित पृष्ठभूमि के साथ–साथ उनके द्वारा आहरित किये जा रहे वर्तमान वेतन के विवरण भी प्रस्तुत किये जाएंगे। सदस्यों की उपयुक्तता तथा सुयोग्यता तथा सदस्यों की सूची (पेनल) जैसा कि इसका उल्लेख इस विनियम में किया गया है, का निर्णय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रयोजन से विधिवत गठित की गई समिति द्वारा लिया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित किये गये नामों पर आयोग विचार करेगा तथा आयोग के अनुमोदन पश्चात् वितरण

अनुज्ञप्तिधारी इन अधिकारियों को नामोद्दिष्ट करने हेतु समुचित आदेश जारी करेगा।

चार. आयोग द्वारा नामोद्दिष्ट किये जाने वाला स्वतंत्र सदस्य उपभोक्ता संबंधी मामलों से सुपरिचित होगा तथा किसी भी अध्ययन क्षेत्र में स्नातक उपाधि या विद्युत अभियान्त्रिकी विषय में डिप्लोमा उपाधि का धारक होने के साथ–साथ उसके पास न्यूनतम 20 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव अधिमानतः केन्द्र सरकार/राज्य शासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ऊर्जा उपयोगिता उपक्रम के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों में से या फिर तकनीकी/वित्तीय/विधिक मामलों में उत्कृष्ट योग्यता के व्यक्तियों में से होगा।

पांच. वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को कम्पनी स्तर के फौरम के स्वतंत्र सदस्य के पद पर नामांकन हेतु न्यूनतम तीन अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में उसकी योग्यता, अनुभव से संबंधित विवरण तथा कार्यक्षमता, सन्निष्ठा तथा प्रतिष्ठा से संबंधित पृष्ठभूमि के साथ–साथ वर्तमान में आहरित किये जा रहे वेतन/पेंशन के विवरण प्रस्तुत किये जाएंगे। आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित नामों पर विचार करेगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अपना अनुमोदन फोरम में स्वतंत्र सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु सम्प्रेषित करेगा।"

3.4 मूल विनियमों में, विनियम 3.5 को विलोपित किया जाए।

3.5 मूल विनियमों में, विनियम 3.6 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.6 कम्पनी स्तर पर अन्य चार सदस्य निम्न उपभोक्ता श्रेणियों में से होंगे–

एक) कृषि उपभोक्ता

दो) औद्योगिक उपभोक्ता

तीन) सामान्य उपभोक्ता, जैसे कि घरेलू/गैर–घरेलू आदि

चार) उत्पादोभोक्ता (Prosumers)

उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ताओं की अधिकतम संख्या चार तक सीमित रखी जाएगी। प्रत्येक श्रेणी में से केवल एक ही सदस्य के नाम पर विचार किया जाएगा।

इस श्रेणी के अन्तर्गत चयन हेतु योग्यता के लिये ऐसे व्यक्तियों की आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए तथा वे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति विद्युत देयकों के भुगतान में चूककर्ता नहीं होने चाहिए तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अधीन पूर्व में कभी भी सिद्धदोष घोषित हुए नहीं होना चाहिए तथा किसी भी न्यायालय में इनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण भी लंबित नहीं होना चाहिए। वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन श्रेणियों के अन्तर्गत सदस्य के प्रत्येक स्थान/पद (Position) के विरूद्ध न्यूनतम दो सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक सूची आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी फोरम के सदस्यों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करेगा जिनके नाम आयोग द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हों।"

3.6 मूल विनियमों में, विनियम 3.7 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उप संभाग (Sub Division)/संभाग (Division)/वृत्त (Circle)/क्षेत्र (region) स्तर के फोरमों की स्थापना की जाएगी। इन फोरमों का गठन कम्पनी स्तर के फोरमों के अनुरूप ही होगा। ऐसे फोरमों के स्वतन्त्र सदस्यों को आयोग द्वारा नामोद्दिष्ट किया जाएगा जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पात्रता रखने वाले दो व्यक्तियों की सूची आयोग के अनुमोदन हेतु, प्रस्तुत की जाएगी। ऐसे फोरमों में सदस्य की अन्य श्रेणियों हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पात्र व्यक्ति को सम्मिलित किया जाएगा जिस हेतु आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।"

3.7 मूल विनियमों में, विनियम 3.8 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"वेतनमान/मानदेय तथा सेवाकाल (Salary/Honorarium and Tenure of Office)

क. कम्पनी स्तरीय फोरम (Company Level Forum) :

3.8 (एक) ऐसे सदस्यों के बारे में, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी हैं, उन्हें देय वेतन तथा अन्य भत्ते, तथा सेवा की अन्य निबन्धन तथा शर्तों को इस प्रकार परिवर्तित नहीं किया जाएगा जिसके अनुसार नियुक्ति के उपरान्त ये उनके लिये अलाभकारी हों।

(दो) आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य के संबंध में उसे भुगतानयोग्य वेतन अथवा मानदेय स्वतंत्र तथा अन्य भत्ते और सेवा की अन्य निबन्धन तथा शर्तें वे होंगी जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित की जाए तथा इन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भारित किया जाएगा जो इन्हें सदस्य को समयोचित तथा नियमित भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

(तीन) सदस्यों का वेतन, भत्ते अथा सेवा की अन्य निबन्धन तथा शर्तों को इस इस प्रकार परिवर्तित नहीं किया जाएगा जिसके अनुसार सेवा में उपस्थिति के पश्चात् ये उनके लिये अलाभकारी हों।

(चार) उपभोक्ताओं (consumers)/उत्पादाभोक्ताओं (Prosumers) संवर्ग में से चयनित सदस्य मात्र मानसेवी (honorary) होंगे। फोरम की बैठकों/सुनवाइयों/सम्मेलनों में उपस्थिति के लिए उन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यात्रा व्ययों का भुगतान किया जाएगा तथा इस हेतु समुचित दिशा–निर्देश वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये जाएंगे।"

3.8 मूल विनियमों में, उप संभाग/संभाग/वृत्त/क्षेत्र हेतु विनियम 3.9 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.9 (एक) ऐसे सदस्यों के बारे में, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी हैं, उन्हें देय वेतन तथा अन्य भत्ते, तथा सेवा की अन्य निबन्धन तथा शर्तों को इस प्रकार परिवर्तित नहीं किया जाएगा जिसके अनुसार नियुक्ति के उपरान्त ये उनके लिये अलाभकारी हों।

(दो) आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य के संबंध में उसे भुगतानयोग्य वेतन अथवा मानदेय स्वतंत्र तथा अन्य भत्ते और सेवा की अन्य निबन्धन तथा शर्तें वे होंगी जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित की जाए तथा इन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भारित किया जाएगा जो इन्हें सदस्य को समयोचित तथा नियमित भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

(तीन) सदस्यों का वेतन, भत्ते अथा सेवा की अन्य निबन्धन तथा शर्तों को इस इस प्रकार परिवर्तित नहीं किया जाएगा जिसके अनुसार सेवा में उपस्थिति के पश्चात् ये उनके लिये अलाभकारी हों।

(चार) उपभोक्ताओं (Consumers)/उत्पादाभोक्ताओं (Prosumers) संवर्ग में चयनित सदस्य मात्र मानसेवी (honorary) होंगे। फोरम की बैठकों/सुनवाइयों/सम्मेलन में उपस्थिति के लिए उन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यात्रा व्ययों का भुगतान किया जाएगा तथा इस हेतु समुचित दिशा–निर्देश वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये जाएंगे।"

3.9 मूल विनियमों में, विनियम 3.12 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.12 फोरम के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल उनकी कार्य पर उपस्थिति की दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिये होगा परन्तु यह भी कि कोई भी मनोनीत सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर कार्यभार धारित नहीं कर सकेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी अगले अध्यक्ष

तथा सदस्यों की चयन प्रक्रिया वर्तमान पद धारक(ों) के निर्धारित सेवा काल की अवधि समाप्त होने से कम से कम छः माह पूर्व प्रारंभ करेगा। वर्तमान पद धारक(ों) के सेवाकाल के समापन होने के पश्चात् भी किसी नवीन सदस्य/अध्यक्ष की उपलब्धता के अभाव में विद्यमान सदस्य/अध्यक्ष आगे तीन माह की अवधि हेतु, या फिर सेवानिवृत्ति की अवधि तक या फिर नये सदस्य/अध्यक्ष के सेवा में उपस्थित होने की तिथि तक, इनमें जो भी पूर्व में घटित हो, कार्य जारी रख सकेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि पदों को न भरे जाने के कारण फोरम की कार्य प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा फोरम बढ़ाई गई समय–सीमा के भीतर क्रियाशील हो जाए। यदि मनोनीत सदस्य अपने पद को त्याग किये जाने का निर्णय लेता/लेती हो तो वह दो माह का लिखित नोटिस देकर ऐसा कर सकेगा/सकेगी या फिर बदले में उसे दो माह का वेतन जमा करना होगा।"

3.10 मूल विनियमों में, विनियम 3.13 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.13 उप–संभाग/संभाग/वृत्त/क्षेत्र स्तरीय फोरमों के संबंध में, सेवा शर्तों (term of office) का निर्णय वितरण अधिकारी द्वारा लिया जाएगा, तथापि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे फोरम के बारे में सुनिश्चित न्यूनतम सेवा काल (minimum tenure) सुनिश्चित किया जाएगा तथा यह भी कि इन फोरमों की कार्य प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न न हो।"

3.11 मूल विनियमों में, विनियम 3.16 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.16 फोरम का कोई भी सदस्य विनियम 3.15 (क),(ग),(घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) में विनिर्दिष्ट आधारों पर अपने पद से हटाया नहीं जाएगा जब तक अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर आयोग द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी के समक्ष ऐसे सदस्य को स्वयं का बचाव करने का अवसर प्रदान न किया गया हो। जांच अधिकारी की नियुक्ति के समय आयोग यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि क्या संबंधित सदस्य जांच अवधि

के दौरान फोरम की कार्रवाइयों में भाग ले सकेगा, या नहीं। जांच अधिकारी अपना प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करेगा। आयोग, तत्पश्चात्, संबंधित हितधारकों के साथ प्रतिवेदन की प्रतिलिपि को साझा करेगा तथा मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। ऐसे सदस्यों के प्रकरण में जो संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी हैं, जांच अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की प्रति संबद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रेषित की जाएगी। ऐसे सदस्यों के प्रकरण में जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी हैं, के मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व आयोग का लिखित अनुमोदन प्राप्त करना होगा। किसी मनोनीत सदस्य के प्रकरण में, अन्तिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा।"

3.12 मूल विनियमों में, विनियम 3.29 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.29 (क) इन फोरम(ों) द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण सामान्यतः 30 दिवस के भीतर किया जाएगा जो किसी भी परिस्थिति में 45 दिवस से अधिक न होगा। यदि किसी शिकायत का निराकरण 45 दिवस की अवधि के भीतर न किया गया हो तो फोरम द्वारा ऐसे विलंब हेतु कारणों को अभिलेखित किया जाएगा तथा ऐसे प्रकरण में जहां विलंब के कारणों के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी हो वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय लागत का भी उल्लेख किया जाएगा। यदि विलम्ब के लिये शिकायतकर्ता (complainent) उत्तरदायी हो तो फोरम प्रकरण के गुण–दोष (merit) के आधार पर या तो प्रकरण को जारी रखने के बारे में निर्णय लेगा या फिर उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त करेगा। फोरम शिकायत का निराकरण आदेश के माध्यम से करेगा तथा आदेश की प्रति शिकायतकर्ता तथा संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अविलंब तामील की जाएगी तथा किसी

भी स्थिति में, आदेश की प्रति वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा शिकायतकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदेश की तिथि से दो दिवस के भीतर तथा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से सात दिवस के भीतर सौंप (deliver) दी जाएगी।

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी स्तर के फोरम द्वारा जारी समस्त आदेशों को फोरम से ऐसे आदेश की प्राप्ति के दो दिवस के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी वेबसाइट पर 'अपलोड' करेगा।

(ग) फोरम द्वारा जारी आदेश का वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन ऐसे आदेश की प्राप्ति से 45 दिवस के भीतर किया जाएगा। आदेश के अनुपालन की अवधि में वृद्धि किये जाने के बारे में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरोध किये जाने पर फोरम द्वारा शिकायतकर्ता को सुनकर अपने आदेश के अनुपालन संबंधी समयावधि में अधिकतम तीन माह तक की वृद्धि की जा सकेगी।"

3.13 मूल विनियमों में, विनियम 3.32 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.32 वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपेक्षित सहायक पदाधिकारियों (Supporting Staff), समुचित कार्यालय सुविधा (apropriate office accomodation) मय शिकायतकर्ताओं तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण प्रदान करने हेतु सुविधाओं की व्यवस्था तथा फोरमों को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र–व्यवहार करने हेतु उपलब्ध करायेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि फोरम की कार्यप्रणाली सहायक पदाधिकारियों तथा सुविधाओं के अभाव में किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो। वितरण अनुज्ञप्तिधारी फोरम के प्रशासनिक मामलों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि फोरम के निष्पादन या गैर–निष्पादन से संबंधित कोई विषय वितरण अनुज्ञप्तिधारी के संज्ञान में आता हो तो

मामले में समुचित दिशा–निर्देशों हेतु इसे आयोग को प्रतिवेदित किया जाएगा।"

3.14 मूल विनियमों में, विनियम 3.33 को विलोपित किया जाए।

3.15 मूल विनियमों में, विनियम 3.36 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.36 उप–संभागीय या संभागीय या वृत्त या क्षेत्रीय स्तर फोरम के निर्णय से असन्तुष्ट उपभोक्ता प्रकरण में विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व कम्पनी स्तर के फोरम स्तर पर प्रकरण के निराकरण हेतु सम्पर्क कर सकेगा।"

3.16 मूल विनियमों में, विनियम 3.37 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.37 यदि शिकायतकर्ता, फोरम के आदेश या शिकायत के निराकरण न किये जाने से असन्तुष्ट हो तो वह अंतिम आदेश भेजे जाने की तिथि (Date of Delivery) या फोरम द्वारा शिकायत निवारण हेतु अधिकथित अवधि की समाप्ति से साठ दिवस के भीतर परिशिष्ट–दो में निर्धारित प्ररूप में विद्युत लोकपाल को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु यह कि विद्युत लोकपाल साठ दिवस की अवसान अवधि के पश्चात् 60 दिवस से अनाधिक अवधि के भीतर अभ्यावेदन को ग्रहण कर सकेगा, यदि वह सन्तुष्ट हो तथा कारण लिखते हुए अभिलेखित करता हो कि असन्तुष्ट व्यक्ति के पास अभ्यावेदन कथित साठ दिवस की अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण विद्यमान थे।"

3.17 मूल विनियमों में, विनियम 3.38 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"3.38 विद्युत लोकपाल के पास कोई भी अभ्यावेदन दर्ज न होगा जब तक उपभोक्ता फोरम के आदेश के निबंधनों के अनुसार देय राशि के कम से कम आधे अंश का भुगतान न कर दें जो कि फोरम द्वारा जारी आदेश के अनुसार होगी या फिर फोरम द्वारा शिकायत का निराकरण न होने की दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयकों के अनुसार देय

राशि हो तथा उसका अभ्यावेदन सफल न होने की दशा में उसके द्वारा बकाया राशि पर अधिभार का भुगतान किये जाने हेतु सहमति व्यक्त कर दी गई हो।"

4. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन

मूल विनियमों में, विनियम 4.28 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"4.28 विद्युत लोकपाल पक्षकारों (parties) को सुनवाई के लिये अवसर प्रदान करने के पश्चात् उनके अभिवचनों के आधार पर प्रकरण पर अपना निर्णय प्रसारित करेगा। विद्युत लोकपाल, विस्तृत कारणों के साथ, जैसा कि वह प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे, अपना निर्णय सम्प्रेषित करेगा। निर्णय की एक प्रति पक्षकारों को प्रेषित की जाएगी तथा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत लोकपाल के आदेश का अनुपालन कथित आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आदेश के अनुपालन की समयावधि में वृद्धि हेतु अनुरोध किये जाने पर लोकपाल शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश के अनुपालन की समयावधि में अधिकतम तीन माह का विस्तार कर सकेगा।"

5. मूल विनियमों के विनियम 5 में संशोधन

5.1 मूल विनियमों में, विनियम 5.4 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"5.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा जारी "उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु प्रक्रिया नियमावली (Manual of Procedure for Handling Consumers' Complaints)" के अनुसार एक क्रियाविधि संस्थापित करेगा।"

5.2 मूल विनियमों में, विनियम 5.5 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"5.5 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य–स्वामित्व धारक विद्युत उत्पादन कम्पनी के कार्य निष्पादन का अनुप्रवर्तन) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2022 में भले जो भी निहित हो,

फोरमों द्वारा आयोग को **परिशिष्ट–तीन (क) तथा (ख)** में मासिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाएंगे। ये प्रतिवेदन मास तथा त्रैमास जिस हेतु प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा हो, के समापन के पन्द्रह दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाएंगे।"

5.3 **मूल विनियमों में, विनियम 5.6 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:**

"5.6 इन विनियमों के विनियम 3.29 तथा विनियम 4.28 में उल्लेखित अनुसार, फोरमों तथा विद्युत लोकपाल द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत लोकपाल को मासिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन **परिशिष्ट–चार** में प्रस्तुत करेंगे। तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विद्युत लोकपाल इनकी प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदनों को समेकित करेगा तथा एक विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करेगा।"

5.4 **मूल विनियमों में, विनियम 5.7 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:**

"5.7 (क) विद्युत लोकपाल छमाही आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें प्राप्त किये गये प्रकरणों के विवरण, निराकृत प्रकरणों की संख्या तथा लोकपाल द्वारा वित्तीय वर्ष के पिछले छः माह के दौरान उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रकार (nature) के विवरण प्रदान किये जाएंगे।

(ख) उपरोक्त उप–खण्ड (क) के अन्तर्गत प्रतिवेदन को आयोग को 6 माह की सुसंबद्ध अवधि के समापन पर्यन्त 45 दिवस के भीतर आयोग को अग्रेषित प्रस्तुत किया जाएगा।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, आयोग सचिव.

परिशिष्ट–1

फोरम के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभ्यावेदन का प्ररूप

क्रमांक ..... वर्ष .....

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

प्रति

अध्यक्ष

(फोरम का पता)

.....

विषय :– ..... (वितरण केन्द्र तथा अनुज्ञप्तिधारी का नाम) के विरूद्ध शिकायत।

असन्तुष्ट उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता जिसका नाम नीचे दर्शाया गया है, एतद् द्वारा फोरम के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है। शिकायत के विवरण निम्नानुसार हैं :

1. उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता का नाम : .....
2. उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता परिसर जिस हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा रहा है का पूरा पता : .....
   पिन कोड : .....
   दूरभाष क्रमांक/ई–मेल ID/फैक्स क्रमांक : .....
3. वितरण केन्द्र तथा अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पूरा पता पिन कोड, दूरभाष क्रमांक/फैक्स क्रमांक : .....
4. संयोजन का विवरण तथा उपभोक्ता का लेखा क्रमांक : .....
   (कृपया संयोजन का प्रकार दर्शायें)
5. उपभोक्ता द्वारा वितरण केन्द्र को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि : ..... (कृपया अभ्यावेदन की तीन प्रतियां संलग्न करें)
6. अभ्यावेदन की विषय–वस्तु .....
   .....
7. अभ्यावेदन का विवरण (यदि विवरण प्रस्तुति हेतु स्थान कम हो तो विवरण पृथक पृष्ठ पर दर्शायें) : .....
   .....
   .....

8. क्या उपभोक्ता ने वितरण अनुज्ञप्तिधारी का अन्तिम निर्णय प्राप्त किया है ?

.....

(यदि हां, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आदेश के अन्तिम प्रसारित निर्णय की 'तीन प्रतियां संलग्न करें)

9. **फोरम से अपेक्षित राहत का स्वरूप :**

.....

10. उपभोक्ता द्वारा दावा की गई आर्थिक हानि का प्रकार/स्वरूप एवं तत्संबंधी राशि, यदि कोई हो जो क्षतिपूर्ति के बतौर चाही गई है, रूपये ..... **(कृपया यह दर्शाये जाने हेतु कि इस प्रकार हुई हानि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की किसी कथित क्रिया, कृत अथवा अकृत, चूक के परिणामस्वरूप हुआ है बाबत लिखित प्रमाण, यदि कोई हों तो संलग्न करें)**

11. संलग्न अभिलेखों की सूची (कृपया समस्त अभिलेखों की 'तीन प्रतियां' संलग्न करें)

.....

12. **घोषण :**

(क) मैं/हम निम्न उपभोक्ता/उपभोक्तागण एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि

(1) उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी सत्य एवं सही है ; तथा

(2) मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त कॉलमों में तथा एतद् द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों किसी तथ्य को न तो छुपाया गया है अथवा न ही किसी प्रकार से अनुचित अभ्यावेदित किया गया है।

(ख) मेरे/हमारे पास पूर्ण विश्वसनीय उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेरे/हमारे अभ्यावेदन की विषय–वस्तु को मेरे द्वारा अथवा हम में से किसी के द्वारा अथवा विषय वस्तु से संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा इससे पूर्व फोरम कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारे अभ्यावेदन से संबंधित विषय–वस्तु का फोरम कार्यालय के द्वारा किन्हीं पूर्व कार्रवाइयों के माध्यम से निपटान नहीं किया गया है।

(घ) प्रस्तुत अभ्यावेदन संबंधी विषय–वस्तु का किसी प्राधिकरण/न्यायालय/मध्यस्थ द्वारा निर्णय नहीं किया गया है।

अथवा

प्रस्तुत अभ्यावेदन संबंधी विषय–वस्तु दिनांक ..... से ..... (कृपया प्राधिकरण/न्यायालय/मध्यस्थ जिसके समक्ष प्रकरण लंबित है, के नाम के उल्लेख करें) के समक्ष लंबित है तथा कार्रवाइयों संबंधी अन्तिम न्यायालयीन निर्णय होने में समय लगने की संभावना है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(उपभोक्ता का पूरा नाम)

नामांकन : यदि उपभोक्ता उसके प्रतिनिधि को उसकी ओर से फोरम के समक्ष प्रस्तुत होने तथा प्रस्तुतिकरण करने हेतु नामांकित करना चाहे तो निम्न घोषणा प्रस्तुत करनी होगी:–

मैं/हम, जो उपरोक्त कथित उपभोक्ता/उपभोक्तागण हूं/हैं, एतद् द्वारा श्री/श्रीमती .....जिसका पता ..... है, को मेरा/हमारा प्रतिनिधि नामांकित करता/करती/करते हूं/हैं तथा उसके/उनके द्वारा प्रस्तुत कोई अभिकथन, स्वीकारोक्ति अथवा अस्वीकारोक्ति मेरे/हम पर बंधनकारी होगा/होगी। श्री/श्रीमती ..... (नाम) द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया :

स्वीकार किया गया

(प्रतिनिधि के हस्ताक्षर) (उपभोक्ता के हस्ताक्षर)

.....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नोट : शपथ–पत्र लगाया जाना आवश्यक नहीं है।

परिशिष्ट–2

विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभ्यावेदन का प्ररूप

क्रमांक ..... वर्ष .....

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

प्रति

विद्युत लोकपाल

.....

(विद्युत लोकपाल का पता)

विषयः– ..... (वितरण केन्द्र तथा अनुज्ञप्तिधारी का नाम) के विरूद्ध शिकायत।

असन्तुष्ट उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता जिसका नाम नीचे दर्शाया गया है, एतद् द्वारा लोकपाल के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है। शिकायत के विवरण निम्नानुसार हैं:–

1. उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता का नाम : .....
2. उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता परिसर जिस हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा रहा है का पूरा पता : .....

   पिन कोड : .....

   दूरभाष क्रमांक/ई–मेल ID/फैक्स क्रमांक : .....
3. वितरण केन्द्र तथा अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पूरा पता पिन कोड, दूरभाष क्रमांक/फैक्स क्रमांक : .....
4. संयोजन का विवरण तथा उपभोक्ता का लेखा क्रमांक : .....

   (कृपया संयोजन का प्रकार दर्शायें)
5. उपभोक्ता द्वारा फोरम को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि : .....

   ..... (कृपया अभ्यावेदन की तीन प्रतियां संलग्न करें)
6. क्या मप्रविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 के विनियम 3.38 के प्रावधानों के अधीन 50% राशि का भुगतान कर दिया गया है ? (कृपया पुष्टि हेतु रसीद/देयक की प्रतिलिपि संलग्न करें) .....।
7. फोरम द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति तिथि .....

8. शिकायतकर्ता द्वारा फोरम के आदेश की प्राप्ति तथा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे इस अभ्यावेदन के मध्य दिनों की संख्या .....

9. अभ्यावेदन की विषय–वस्तु .....

.....

10. अभ्यावेदन का विवरण (यदि विवरण प्रस्तुति हेतु स्थान कम हो तो विवरण पृथक पृष्ठ पर दर्शायें) : .....

11. क्या उपभोक्ता द्वारा फोरम का निर्णय प्राप्त कर लिया गया है ? .....
यदि हां तो फोरम के आदेश की 'तीन प्रतियां' संलग्न करें जिसके अन्तर्गत अन्तिम निर्णय प्रसारित किया गया है)

12. विद्युत लोकपाल से अपेक्षित राहत का स्वरूप .....

13. उपभोक्ता द्वारा दावा की गई आर्थिक हानि का प्रकार/स्वरूप एवं तत्संबंधी राशि, यदि कोई हो जो क्षतिपूर्ति के बतौर चाही गई है, रूपये ..... (कृपया यह दर्शाये जाने हेतु कि इस प्रकार हुई हानि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की किसी कथित क्रिया, कृत अथवा अकृत, चूक के परिणामस्वरूप हुआ है बाबत लिखित प्रमाण, यदि कोई हों तो संलग्न करें)

14. संलग्न अभिलेखों की सूची (कृपया समस्त अभिलेखों की 'तीन प्रतियां' संलग्न करें)

.....

15. घोषणा :

(क) मैं/हम निम्न उपभोक्ता/उपभोक्तागण एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि

(1) उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी सत्य एवं सही है ; तथा

(2) मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त कॉलमों में तथा एतद् द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों किसी तथ्य को न तो छुपाया गया है अथवा न ही किसी प्रकार से अनुचित अभ्यावेदित किया गया है।

(ख) मेरे/हमारे पास पूर्ण विश्वसनीय उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेरे/हमारे अभ्यावेदन की विषय–वस्तु को मेरे द्वारा अथवा हम में से किसी के द्वारा अथवा विषय वस्तु से संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा इससे पूर्व विद्युत लोकपाल कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारे अभ्यावेदन से संबंधित विषय–वस्तु का विद्युत लोकपाल कार्यालय के द्वारा किन्हीं पूर्व कार्रवाइयों के माध्यम से निपटान नहीं किया गया है।

(घ) प्रस्तुत अभ्यावेदन संबंधी विषय–वस्तु का किसी प्राधिकरण/न्यायालय/मध्यस्थ द्वारा निर्णय नहीं किया गया है।

अथवा

प्रस्तुत अभ्यावेदन संबंधी विषय–वस्तु दिनांक ..... से ..... (कृपया प्राधिकरण/न्यायालय/मध्यस्थ जिसके समक्ष प्रकरण लंबित है के नाम के उल्लेख करें) के समक्ष लंबित है, तथा कार्रवाइयों संबंधी अन्तिम न्यायालयीन निर्णय होने में समय लगने की संभावना है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(उपभोक्ता का पूरा नाम)

नामांकन : यदि उपभोक्ता उसके प्रतिनिधि को उसकी ओर से फोरम के समक्ष प्रस्तुत होने तथा प्रस्तुतिकरण करने हेतु नामांकित करना चाहे तो निम्न घोषणा प्रस्तुत करनी होगी:–

मैं/हम, जो उपरोक्त कथित उपभोक्ता/उपभोक्तागण हूं/हैं, एतद् द्वारा श्री/श्रीमती .....जिसका पता ..... है, को मेरा/हमारा प्रतिनिधि नामांकित करता/करती/करते हूं/हैं तथा उसके/उनके द्वारा प्रस्तुत कोई अभिकथन, स्वीकारोक्ति अथवा अस्वीकारोक्ति मेरे/हम पर बंधनकारी हागा/होगी। श्री/श्रीमती ..... (नाम) द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया :

स्वीकार किया गया

(प्रतिनिधि के हस्ताक्षर) (उपभोक्ता के हस्ताक्षर)

.....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नोट : शपथ–पत्र लगाया जाना आवश्यक नहीं है।

परिशिष्ट–तीन (क)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निराकरण फोरम के विवरण (Details of ECGRF)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निराकरण फोरम का मासिक/त्रैमासिक निष्पादन) (Monthly/ Quarterly Performance of Electricity Consumer Grievances Redressal Forum)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निराकरण फोरम (ECGRF) का नाम

सरल क्रमांक	विद्युत वितरण कम्पनी (DISCOM)	'ECGRF हेतु संबद्ध अधिकारियों के विवरण	नियुक्ति दिनांक	'ECGRF का पदनाम'	रिक्त स्थान (Vacant Position)	दिनांक से रिक्त
		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. अध्यक्ष 2. सदस्य 3. स्वतंत्र सदस्य 4. उत्पादोभोक्ता (prosumer) सदस्य का प्रतिनिधि	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

टीप : कम्पनी स्तर तथा वृत्त स्तर के फोरम द्वारा पृथक–पृथक भरा जाए

परिशिष्ट–तीन (ख)

1. **ECGRF विद्युत उपभोक्ता शिकायत निराकरण फोरम का नाम** .....

.....

2. **ECGRF द्वारा शिकायतों का निराकरण (कम्पनी/वृत्त स्तर पर)** .....

.....

सरल क्रमांक	शिकायतों के प्रकार	1. बिलिंग विवाद (Billing Dispute)	2. मापयन्त्र (Meter)	3. संयोजन (Connection)	4. अन्य (निर्दिष्ट करें)
1	पूर्व माह/त्रैमास के समापन पर बकाया शिकायतों की संख्या				
2	पूर्व माह/त्रैमास के दौरान प्राप्त की गई शिकायत की संख्या				
3	शिकायतों की संख्या जिनका निपटान माह/त्रैमास के दौरान किया गया				
4	माह/त्रैमास के समापन पर लंबित शिकायतों की संख्या				
5	शिकायतों की संख्या जो दो माह से अधिक अवधि से लंबित हैं				
6	त्रैमास के दौरान 'ECGRF' द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या				
7	विनियमों में निर्दिष्ट की गई समय सीमाओं के पश्चात् आदेशां (प्रकरणों) की संख्या जिनमें विद्युत वितरण कम्पनियों (DISCOMs) द्वारा आदेशों का अपालन (Non-Compliance) अपलोड किया गया				

परिशिष्ट–चार

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आदेशों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने/अनुपालन करने संबंधी प्ररूप (Format For Reporting/Compliance of Orders by the Distribution Licensee)

सरल क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	फोरम/विद्युत लोकपाल द्वारा आदेश जारी करने की तिथि	वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आदेश प्राप्त करने की तिथि	वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन की तिथि	निर्धारित समय–सीमा के भीतर अपालन (Non-compliance) के कारण

Bhopal, the 29th August 2024

No. 2004 /MPERC/2024. In exercise of the powers conferred under clauses {r},{s} and {zp} of Sub-section (2) of Section 181 read with Sub-sections (5), (6) and (7) of Section 42 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby, makes the following Regulations to amend MPERC(Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the consumers) (Revision-II) Regulations, 2021 {RG-3 (II) of 2021}herein after referred to as "the Principal Regulations" namely :-

First amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the consumers) Regulations, 2021.

1. **Short title and Commencement:**

1.1 These Regulations shall be called the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the consumers) (Revision-II) (First Amendment) Regulations, 2021 {ARG-3 (II)(i) of 2024}.**

1.2 These Regulations shall extend to the State of Madhya Pradesh.

1.3 These Regulations shall be applicable to the Distribution Licensees/Franchisees operating in the State of Madhya Pradesh in their respective licensed areas.

1.4 These Regulations shall be in force from the date of notification of these Regulations in the official Gazette of the Government of M.P.

2. **Amendment to Chapter 2 of the Principal Regulations**

2.1 In the Principal Regulations, Regulation 2.4 (e) shall be substituted as below:

"(e) "Complaint" means a representation through any of the modes provided in the Manual of procedure for handling consumer complaints in accordance with Regulation 3.28 of these Regulations."

3. **Amendment to Chapter 3 of the Principal Regulations**

3.1 In the Principal Regulations, Regulation 3.1 shall be substituted as below:

"3.1 Every Distribution Licensee shall establish one or more Forum(s), to be designated as 'Electricity Consumers Grievances Redressal Forum' for redressal of Grievances of the Consumers in accordance with the provisions under these Regulations to cater the needs of consumers at the sub-division, division, circle, region and company level. The Forum(s) may be assigned different types of grievances depending on the nature of the grievance and the level at which it can be best resolved.

Provided that the monitoring of functioning of Forum(s) shall be outside the purview of Distribution Licensee and shall be exclusively undertaken by the Commission."

3.2 In the Principal Regulations, Regulation 3.2 shall be substituted as below:

"3.2 The Head Office of the Forum(s) shall be at such a place as the Distribution Licensee may notify. The Forum(s) may, however, conduct sittings at other places also besides its Head Office, in consonance with the overall objective of ensuring that complaints/Grievances are heard and disposed of within the time specified in Regulation 3.29 (a) of these Regulations."

3.3 In the Principal Regulations, Regulation 3.3 shall be substituted as below:

"3.3 The Forum(s) shall consist of two officers of the Distribution Licensee, one Independent Member, and have not more than four Members as consumer and prosumer representatives. The Forum(s) shall be headed by an officer of the Distribution Licensee of appropriate seniority who shall be designated as Chairperson of the Forum. The Commission shall nominate the Independent Member who is familiar with the consumer affairs. The composition and qualification of the Member/Chairperson of the Company Level Forum shall be as under:-

I. One Member from amongst the officers of the Distribution Licensee, shall be a person possessing a Degree in Engineering and having at least Twenty (20) years of experience in the distribution of Electricity and having at least one year experience of working on a post not below the rank equivalent to Superintending Engineer of the Distribution Licensee or having at least five years' working experience on a post not below the rank equivalent to Executive Engineer of the Distribution Licensee.

II. Second Member from amongst the officers of the Distribution Licensee, shall be a person possessing at least fifteen (15) years of experience in Accounting and / or Revenue and/or Commercial matters and having at least one year experience of working on a post not below the rank equivalent to Executive Engineer of the Distribution Licensee.

III. The Distribution Licensee shall submit to the Commission a panel containing names of at least three officers for each position of the aforesaid two Members of the Forum. Details of the qualifications, experience and the background related to integrity and standing shall be submitted in respect of each officer along with details of present pay drawn by them. The suitability and capability of the Members and the panel of Members as stated in this Regulation shall be decided by a Committee duly constituted by the Distribution Licensee for this purpose. The Commission shall consider the names proposed by the Distribution Licensee and after approval of the Commission, the Distribution Licensee shall issue appropriate order to designate these officers as Members of the Forum.

IV. The Independent Member to be nominated by the Commission should have familiarity with consumers' related affairs and should be graduate in any discipline or diploma in Electrical Engineering with at least 20 years of professional experience, preferably from amongst the retired employees of Central Government / State Government/ PSU/ Power Utilities undertaking or a person of outstanding merit in Technical/ Financial /Legal matters.

V. The Distribution Licensee shall submit to the Commission a panel containing names of at least three candidates for nomination for the post of Independent Member of the Company level Forum. Details of the qualifications, experience and the background related to ability, integrity and standing shall be submitted in respect of each candidate along with details including pay/pension drawn by them presently, as the case may be. The Commission shall consider the names proposed by the Distribution Licensee and convey its approval to the Distribution Licensee for inclusion as Independent Member of the Forum."

3.4 In the Principal Regulations, Regulation 3.5 shall be deleted.

3.5 In the Principal Regulations, Regulation 3.6 shall be substituted as below:

"3.6 The other four Members of the Company Level Forum shall be from the following consumers' categories –

i) Agriculture consumers

ii) Industrial consumers

iii) General consumers viz. domestic /non domestic etc.

iv) Prosumers

The maximum numbers of consumers/prosumers shall be limited to four. Only one Member shall be considered from each category.

To be eligible for selection under this category, such persons should have attained minimum age of 35 years and should have been consumers/prosumers of the Distribution Licensee. Such persons should not be a defaulter of electricity bills and should not have been convicted under section 135 of the Electricity Act 2003 and there should not be any criminal case pending against them in any Court. The Distribution Licensee shall submit a list containing at least two names against each position of Member in these categories for approval by the Commission and the Distribution Licensee shall include such persons as Members of the Forum whose names are approved by the Commission."

3.6 In the Principal Regulations, Regulation 3.7 shall be substituted as below:

"3.7 The Sub-division/Division/Circle/Region level Forums shall be established by the Distribution Licensee. Composition of these Forums shall be same as that of the Company level Forums. Independent Member of such Forums shall be nominated by the Commission for which the Distribution Licensee shall submit a list containing at least two names of eligible persons for approval by the Commission. For other categories of Member in such Forums, eligible person shall be included by the Distribution Licensee for which no approval shall be required from the Commission."

3.7 In the Principal Regulations, Regulation 3.8 shall be substituted as below:

"Salary /Honorarium and tenure of office

A. Company Level Forum:

3.8 (i) The salary and other allowances payable to, and the other terms and conditions of service in respect of the Members, who are Officers of the Distribution Licensee shall not be altered to their disadvantage.

(ii) The salary or honorarium and other allowances payable to, and the other terms and conditions of service in respect of the Independent Member nominated by the Commission shall be such as may be approved by the Commission and shall be charged to the Distribution Licensee who shall be responsible for timely and regular payment.

(iii) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the Members, shall not be varied to their disadvantage after joining.

(iv) The Members selected from amongst the consumers/prosumers shall be honorary Members only. Travelling expenses in respect of such Members for attending sittings/ hearings/ meetings of the Forum shall be paid for by the Distribution Licensee and appropriate guidelines in this regard shall be issued by the Distribution Licensee."

3.8 In the Principal Regulations, Regulation 3.9 for Sub division /Division /Circle/Region Level Forums shall be substituted as below:

"3.9 (i) The salary and other allowances payable to, and the other terms and conditions of service in respect of the Members, who are Officers of the Distribution Licensee shall not be altered to their disadvantage.

(ii) The salary or honorarium and other allowances payable to, and the other terms and conditions of service in respect of the Independent Member nominated by the Commission shall be such as may be approved by the Commission and shall be

charged to the Distribution Licensee who shall be responsible for timely and regular payment.

(iii) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the Members, shall not be varied to their disadvantage after joining.

(iv) The Members selected from amongst the consumers/prosumers shall be honorary Members only. Travelling expenses in respect of such Member for attending sittings/ hearings/ meetings of the Forum shall be paid for by the Distribution Licensee and appropriate guidelines in this regard shall be issued by the Distribution Licensee."

3.9 In the Principal Regulations, Regulation 3.12 shall be substituted as below:

"3.12 The Chairperson and Members of the Company level Forum shall hold office for a period of two years from the date of joining provided that no nominated Member shall hold Office as such after he/she has attained the age of sixty-five years. The Distribution Licensee should initiate process of appointment of next Chairperson and Members of the Company level Forum at least six months before the end of tenure of present incumbent(s). However, in case of non-availability of new Member/Chairperson even after the end of tenure of present incumbent(s), the existing Member/Chairperson shall continue to function for a further period of three months or till date of superannuation or till date of joining of new Member/ Chairperson, whichever is earlier. The Distribution Licensee shall ensure that working of Forum is not disrupted on account of non-filing up of the posts and that Forum is made functional within the extended period. In case the nominated Member decides to relinquish the post, he/she may do so after giving a notice of two months in writing to the Distribution Licensee or deposit two months' salary in lieu thereof."

3.10 In the Principal Regulations, Regulation 3.13 shall be substituted as below:

"3.13 In respect of Sub-division/Division/Circle/Region level Forums, the term of office shall be decided by the Distribution Licensee however, the Distribution Licensee shall ensure certain minimum tenure for Members of such Forum and also that the working

of these Forums is not disrupted."

3.11 In the Principal Regulations, Regulation 3.16 shall be substituted as below:

"3.16 No Member of the Forum shall be removed from his office on the grounds specified in Regulation 3.15 (a),(c),(d),(e),(f),(g) and (h) until such Member is given an opportunity to defend himself before an Enquiry Officer that may be appointed by the Commission. While appointing the Enquiry Officer, the Commission shall also specify whether the concerned Member can or can't participate in proceedings of the Forum during the course of enquiry. The Enquiry Officer shall submit the report to the Commission. The Commission shall thereafter, share copy of the report with the concerned stakeholders and provide them an opportunity of hearing before taking final decision in the matter. In case of the Members who are officers of the Distribution Licensee, a copy of report submitted by Enquiry officer shall be sent to the concerned Distribution Licensee. The Distribution Licensee shall have to obtain approval of the Commission in writing before taking a final decision in case of the Members who are officers of the Distribution Licensee. In case of the nominated Member, final decision shall be taken by the Commission."

3.12 In the Principal Regulations, Regulation 3.29 shall be substituted as below:

"3.29 (a) These Forum(s) shall settle the Grievances of the Consumers within a period of 30 days normally but not exceeding 45 days in any case. In the event any Grievance is not settled within the period of 45 days, the Forum shall record the reasons for such delay including the cost to be paid by the Distribution Licensee in case the reasons for delay are attributable to the Distribution Licensee. In case the delay is for reasons attributable to the Complainant, the Forum may on the basis of the merit of the case either decide to proceed with the case or reject the Grievance of the consumer. The Forum shall settle the grievance through an order and the order shall be served to the Complainant and the concerned Distribution Licensee through Registered post/ Speed post and electronically also without any delay and in any case, copy of the order should be delivered to the Distribution Licensee and Complainant within two days electronically and within a period of seven days through Registered/Speed post from the date of order.

(b) The Distribution Licensee shall arrange to upload on its website all the Orders issued by the Company level Forum within two days from the date of receipt of such order electronically from the Forum.

(c) The order of the Forum shall be complied by the Distribution Licensee within 45 days from the date of receipt of such order. On the request of the Distribution Licensee to extend the period of compliance of the order, the Forum may extend the time period of compliance of its order upto a maximum period of three months after hearing the Complainant."

3.13 In the Principal Regulations, Regulation 3.32 shall be substituted as below:

"3.32 The Distribution Licensee shall provide required supporting staff, appropriate office accommodation alongwith the facilities for making electronic communication with the complainants and Distribution Licensee and also to enable Forums to make correspondence through speed post/registered posts. The Distribution Licensee shall also ensure that the functioning of Forum should not be affected in any way due to shortage of supporting staff and facilities. The Distribution Licensee shall not interfere in any way with the administrative matters of the Forum. If any issue related to performance or non-performance of Forum comes to the notice of the Distribution Licensee, the same shall be reported to the Commission for appropriate directions in the matter."

3.14 In the Principal Regulations, Regulation 3.33 shall be deleted.

3.15 In the Principal Regulations, Regulation 3.36 shall be substituted as below:

"3.36 The consumer aggrieved by the decision of sub-divisional or divisional or circle or regional level Forum may approach the Company level Forum before making an appeal to the Ombudsman."

3.16 In the Principal Regulations, Regulation 3.37 shall be substituted as below:

"3.37 If the Complainant is aggrieved by the order of the Forum or non-redressal of the grievance by the Forum within the period specified, the Complainant may make a

representation in the format specified at **Annexure-II** to the Electricity Ombudsman within a period of sixty days from the date of delivery of the final order or from the expiry of the period specified for redressal of the grievance by the Forum.

Provided that the Electricity Ombudsman may entertain the representation within a further period not exceeding 60 days after the expiry of the period of sixty days if it is satisfied and records in writing the reasons that the aggrieved person had sufficient cause for not preferring the representation within the said period of sixty days."

3.17 In the Principal Regulations, Regulation 3.38 shall be substituted as below:

"3.38 No representation to the Electricity Ombudsman shall lie unless the consumer has deposited, at least, half of the amount that is required to be paid by him either in terms of an order of the Forum or in case of non-redressal of the grievance by the Forum the amount payable as per bills issued by the Distribution Licensee and has also agreed to pay a surcharge on the balance amount in the event of his representation not being successful."

4 Amendment to Chapter 4 of the Principal Regulations

In the Principal Regulations, Regulation 4.28 shall be substituted as below:

"4.28 The Electricity Ombudsman shall decide the matter on the pleadings of the parties, after providing them an opportunity of being heard. The Electricity Ombudsman shall communicate the decision with detailed reasoning which he thinks fair in the facts and circumstances of a case. A copy of the decision shall be sent to the parties and the same shall be made available on Commission's Website. The Distribution Licensee shall comply with the order of the Ombudsman within 45 days from the date of receipt of the order. On the request of the Distribution Licensee to extend the period of compliance of the order, the Ombudsman may extend the time period for compliance of its order up to a maximum period of three months after providing opportunity of hearing to the Complainant."

5 Amendment to Chapter 5 of the Principal Regulations

5.1 In the Principal Regulations, Regulation 5.4 shall be substituted as below:

"5.4 The Distribution Licensee shall set up a mechanism for handling complaints as per Manual of procedure for handling consumers' complaints issued by the Commission."

5.2 In the Principal Regulations, Regulation 5.5 shall be substituted as below:

"5.5 Notwithstanding anything contained in the MPERC (Monitoring performance of Distribution Licensees and State-Owned Generating Company) (Revision-I), Regulations, 2022, the Forums shall submit monthly and quarterly reports to the Commission in **Annexure-III (a)** and **(b)**. These reports should be submitted within fifteen days of the close of the month and the quarter for which report is being prepared."

5.3 In the Principal Regulations, Regulation 5.6 shall be substituted as below:

"5.6 The Distribution Licensee shall submit monthly and quarterly reports to the Ombudsman in **Annexure-IV** in respect of the compliance of the orders issued by the Forums and the Ombudsman in terms of Clause 3.29 and Clause 4.28 of this Regulation. The Ombudsman shall consolidate and submit an analytical report to the Commission within a period of fifteen days after receipt of reports from all the three Distribution Licensees."

5.4 In the Principal Regulations, Regulation 5.7 shall be substituted as below:

"5.7 (a) Ombudsman shall prepare a report on a six monthly basis giving details of the cases received, cases disposed of and nature of Grievances of the consumers dealt by the Ombudsman during the preceding six months of each financial year.

(b) The report under sub-clause (a) above shall be forwarded to the Commission within 45 days after end of relevant period of six months."

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Commission Secy.

Annexure-I

FORM FOR REPRESENTATION BEFORE FORUM

No. ..... of year.....

(To be filled up by office)

To,
The Chairperson
(Address of Forum)

Sub:- Grievance against .....
(Name of the Distribution Centre and Licensee)

Being aggrieved, the consumer/Prosumer named herein submits a representation to the___ _____Forum. Details of the Grievance are as under:-

1. Name of the Consumer/ Prosumer.....
2. Full Address of the Consumer premises of /Prosumer for which representation is made .....
   Pin Code.....
   Phone No./ E-mail ID/Fax No.....
   (a copy of latest electricity bill be enclosed)
3. Name and full Address of the Distribution Centre and Licensee,
   Pin Code, Phone No./Fax No/ E-mail ID.....
4. Particulars of connection and Consumer Account No.
   (Please state nature of connection)
5. Date of representation by the Consumer to the Distribution Centre .....
   (Please **enclose** three copies of the representation)
6. Subject matter of the representation.....
   .....
7. Details of the representation
   (If space is not sufficient, please enclose separate sheet)
   .....
   .....
   .....
8. Whether the Consumer has received the decision of the Distribution Licensee?

   (If yes, please enclose 'three copies' of the decision of Distribution Licensee.)
9. Nature of relief sought from the Forum.

10. Nature and extent of monetary loss, if any, claimed by the consumer (if any) by way of compensation Rs.....
(Please enclose documentary proof, if any, to show that such loss is actual loss caused as a direct consequence of alleged act or omission of the Distribution Licensee)

11. List of Documents enclosed.
(Please enclose 'three copies' of all the documents)

12. Declaration -

(a) I/We, the Consumer(s) herein declare that-

(1) The information furnished herein above is true and correct; and
(2) I/We have not concealed or misrepresented any fact stated in aforesaid columns and the documents submitted herewith.

(b) The subject matter of my/our representation has never been brought before the office of the Forum by me/or by anyone of us or by any of the parties concerned with the subject matter to the best of my/our knowledge.
(c) The subject matter of my/our representation has not been settled through the office of the Forum in any previous proceedings.
(d) The subject matter of the present representation has not been decided by any authority/court/arbitrator.

OR

The subject matter of the present representation is pending since (Please mention the date when the matter was filed)..... Before ..... (Please mention the name of the authority/court/arbitrator before whom the matter is pending) and the proceedings are likely to take time for being finally adjudicated.

Yours faithfully,
(Signature)
(Consumer's name in block letters)

Nomination -If the Consumer wants to nominate his representative to appear and make submissions on his behalf before the Forum the following declaration should be submitted:-

I/We the above named Consumer hereby nominate Shri/Smt.....,and whose address ..... as my/our representative in the proceedings and confirm that any statement, acceptance or rejection made by him/her shall be binding on me/us. He/She has signed below in my presence.

Accepted.

(Signature of Representative). (Signature of Consumer)

*Strike off whichever is not applicable.
Note: Affidavit is not required to be submitted.

Annexure-II

FORM FOR REPRESENTATION BEFORE ELECTRICITY OMBUDSMAN

No. ..... of year.....

(To be filled up by office)

To,
The Electricity Ombudsman
(Address of Electricity Ombudsman)

Sub:- Grievance against .....
(Name of the Distribution Centre and Licensee)

Being aggrieved the consumer/Prosumer named herein submit a representation to the Ombudsman*. Details of the Grievance are as under:-

1. Name of the Consumer/Prosumer.....
2. Full Address of the premises of Consumer/Prosumer for which representation is made.....
   Pin Code.....
   Phone No./E-mail ID/Fax.....
3. Name and full Address of the Distribution Centre and Licensee,
   Pin Code, Phone No./Fax No/ E-mail ID.....
4. Particulars of connection and Consumer Account No.
   (Please state nature of connection)
5. Date of representation by the Consumer to the Forum
   .....
   (Please enclose three copies of the representation)
6. Whether 50% amount as per provision under Regulation 3.38 of MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the Consumer)(Revision-II) Regulation, 2021 has been paid.
   (Please enclose copy of receipt/bill in support)
7. Date of receipt of order passed by Forum.....
8. Number of days between the date of Forum's order received by complainant and this representation filed with Ombudsman .....
9. Subject matter of the representation.....
   .....
10. Details of the representation
    (If space is not sufficient, please enclose separate sheet)
    .....
    .....

11. Whether the Consumer has received the decision of the Forum*?

(If yes, please enclose 'three copies' of the Forum's order conveying its final decision)

12. Nature of relief sought from the Electricity Ombudsman*.

13. Nature and extent of monetary loss, if any, claimed by the consumer (if any) by way of compensation Rs.....
(Please enclose documentary proof, if any, to show that such loss is actual loss caused as a direct consequence of alleged act, omission or commission of the Distribution Licensee)

14. List of Documents enclosed.
(Please enclose 'three copies' of all the documents)

15. Declaration -

(a) I/We, the Consumer(s) herein declare that-

(1) The **information** furnished herein above is true and correct; and
(2) I/We have not concealed or misrepresented any fact stated in aforesaid columns and the documents submitted herewith.

(b) The subject matter of my/our representation has never been brought before the office of the Electricity Ombudsman by me/or by anyone of us or by any of the parties concerned with the subject matter to the best of my/our knowledge.

(c) The subject matter of my/our representation has not been settled through the office of the Electricity Ombudsman in any previous proceedings.

(d) The subject matter of the present representation has not been decided by any authority/court/arbitrator.

OR

The subject matter of the present representation is pending since (Please mention the date when the matter was filed)..... Before ..... (Please mention the name of the authority/court/arbitrator before whom the matter is pending) and the proceedings are likely to take time for being finally adjudicated.

Yours faithfully,
(Signature)
(Consumer's name in block letters)

Nomination -If the Consumer wants to nominate his representative to appear and make submissions on his behalf before the Electricity Ombudsman, the following declaration should be submitted:-

I/We the above named Consumer hereby nominate Shri/Smt.....,and whose address ..... as my/our representative in the proceedings and confirm that any statement, acceptance or rejection made by him/her shall be binding on me/us. He/She has signed below in my presence.

Accepted.

(Signature of Representative). (Signature of Consumer)

*Strike off whichever is not applicable.
Note: Affidavit is not required to be submitted.

Details of ECGRF

Monthly/Quarterly Performance of Electricity Consumer Grievances Redressal Forum **Annexure-III (a)**

Name of ECGRF

S.No.	DISCOM	Details of the Concerned officials for ECGRF	Date of appointment	Designation in ECGRF	Vacant Position	Period since when vacancy has arisen
		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. Chairman 2. Member 3. Independent Member 4. Representative of Prosumer Member	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Note: To be filled Company Level and Circle Level Forum Separately

Name of ECGRF

Annexure-III (b)

2. Disposal of Grievances by ECGRF * (at Company Level)/Circle Level

1	Type of grievances	1. Billing Dispute	2. Meter	3. Connection	4. Other (Specify)	5. Remarks
2	No. of Grievances received outstanding at the close of previous month/quarter					
3	No. of Grievances received during the month/quarter					
4	No. of Grievances received disposed during the month/quarter					
5	No. of Grievances pending at the close of the month/quarter					
6	No. of Grievances pending which are older than 2 months					
7	No. of sittings of CGRF in the quarter					
8	No. of orders non complied by DISCOMS after specified timelines in the regulations					

Annexure-IV

FORMAT FOR REPORTING/COMPLIANCE OF ORDERS BY THE LICENSEE

S.no.	Case no.	Date of Order issued by the Forum/ Ombudsman	Date of receipt of Order by Licensee	Date of Compliance by Licensee	Reasons for non-compliance with in the specific time limit

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.